कुरुक्षेत्र

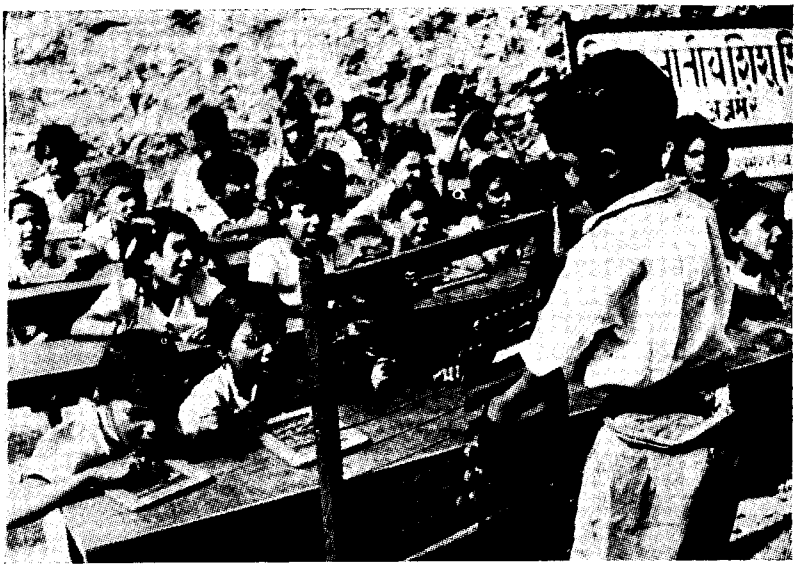

बच्चों के विकास में बालवाड़ी शिक्षण का महत्व

चुन्नीलाल सलूजा

एक शासकीय अनुमान के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या तो बढ़ रही है किन्तु स्कूल में जाने वाले छात्रों की संख्या उस अनुपात से नहीं बढ़ रही। इसस्थिति को क्या कहा जाए ? ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा और शिक्षण के प्रति लोगों की बढ़ती हुई उदासीनता ही इसका प्रमुख कारण है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाएं तो खुल रही हैं, किन्तु शिक्षण पद्धति पर किसी का ध्यान नहीं है। वही परम्परागत नपा तुला पाठ्यक्रम, अक्षर और संख्याओं का ज्ञान, खड़ियों का दोहराना और फिर छुट्टी। इसी में शिक्षक अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री मान लेता है और बालक अपने खेतों में जा कर यह सब ऐसे विस्मृत कर देता है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं। इस प्रकार बालक पढ़ा होने के बाद भी अनपढ़ ही रह जाता है। इससे शिक्षा के आधुनिक उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते, और बालक वर्तमान समाज में अपने आपको समाहित नहीं कर पाते, जिसका परिणाम असन्तोष, आक्रोश और अनुशासनहीनता है जो आज की एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है।

शहरी क्षेत्रों में बालवाड़ी शिक्षण द्वारा छोटी आयु के बालकों में आदर्श संस्कारों के निर्माण में बड़ी सहायता मिली है। अब ये बालक लोकतान्त्रिक मूल्यों को समझने लगे हैं। वे स्वस्थ, प्रसन्नचित, हंसमुख, चंचल, क्रियाशील और जागरूक दिखाई देते हैं जबकि ग्रामीण बालक बीमार, सुस्त, उदासीन और भीरू दिखाई देते हैं। शहरी क्षेत्रों में बाल शिक्षा के लिए पर्याप्त कान्वेन्ट, विद्यामन्दिर, शिशुविद्यालय, बालवाड़ियां आदि हैं और बाल शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों को यह कमी पूरी करनी है। इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों को अपने स्वरूप में कुछ मूल परिवर्तन करने चाहिए। यद्यपि ये परिवर्तन ऐसे नहीं हैं, जिनके लिए कोई बहुत बड़ी योजना बनानी पड़े, बस केवल शिक्षक और संस्था के प्रधान ही इसके लिए निर्धारित कार्यक्रम बना लें और उसे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करें। ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षिकाओं, ग्रामसेविकाओं, और दूसरे ऐसे ही लोगों को विद्यालय की रूपरेखा समाज के हित में तैयार करनी चाहिए। स्वविवेक द्वारा बनाई गई उनकी यह योजना अवश्य ही सफल होगी। बालवाड़ी कक्षा के बालकों की आयु ग्रामीण क्षेत्रों में चार से 6 वर्ष अधिक उचित रहेगी। इस नवीन बाल कक्षा को ही बालवाड़ी के रूप में सजाना, संवारना और सोचना होगा। शिक्षक-शिक्षिकाओं की सहानुभूति, स्नेह और प्यार पाकर यह बालवाड़ी खिल उठेगी।

पाठ्यक्रम

बालवाड़ी में शिक्षा पा रहे ये छोटी आयु के ग्रामीण बालक पाठ्यक्रम की सीमाओं से परे होंगे। इन बच्चों को पाठयक्रम और समय की सीमाओं में बांधना उचित न होगा। इनकी शिक्षा का उद्देश्य इनमें समाज-राष्ट्रोपयोगी संस्कारों का निर्माण करना होगा ताकि इनके ठोस व्यक्तित्व पर भावी सुखद जीवन की आधार शिला रखी जा सके और इनका आचरण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के अनुकूल बन सके। इसके लिए उन्हें सामाजिक जीवन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। केवल इतना ही नहीं बल्कि उनकी मूल प्रवृत्तियों को सर्जनात्मक दिशा प्रदान की जाए ताकि वे समाज और राष्ट्र के लिए भार न बन सकें। ऐसे व्यवहार और संस्कारों के लिए किसी निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं बल्कि सुरुचिपूर्ण वातावरण और स्निग्ध सहानुभति पूर्ण व्यवहार की आवश्यकता है, जिसमें रह कर बालक अपने को स्वतन्त्र, सुरक्षित और उन्मुक्त अनुभव कर सकें। अपनी बात कह और सुन सकें।

बालवाड़ी कक्षा के बच्चे जब समय पर नहा धो कर स्वच्छता से कक्षा में आएंगे, सब मिलकर एक साथ बैठेंगे,

मज़दूर मंज़िल

वर्ष 17 कार्तिक 1893 अंक 1

इस अंक में पृष्ठ

बच्चों के विकास में बालवाड़ी शिक्षा का महत्व आवरण II
चुन्नीलाल सलूजा

योजना के जनक जवाहरलाल 2
शिवकुमार कौशिक

सामुदायिक विकास के नए आयाम 4
भागवतसिंह मेहता

खाद्यान्न के वितरण में सहकारियों का योग 6
एम० एम० के० वाली

रोजगार के बढ़ते अवसर 8
त्रिलोकी नाथ

गांव ये भारत मां के प्राण (कविता) 10
नागेन्द्रनाथ पाण्डेय 'श्रमिक'

युवा शक्ति के उपयोग से गांव का कायापलट 11
कुलदीप चन्द अग्निहोत्री

विकासोन्मुख समाज में श्रमिकों की भूमिका 12
अखिलेश अंजुम

लघु कृषक विकास अभिकरण प्रगति के पथ पर 14
बालकृष्ण कुमावन

हिन्दी भाषा और विश्व एकता 16
बनवारीलाल ऊमरवंश्य

कोचीन का परिवार नियोजन शिविर 21

राष्ट्रसेवा का प्रबलतम सूत्र : निरक्षरता निवारण 23
सुलेमान टाक

श्रम के पूत्रो ! माटी की जय बोल दो (कविता) 25
शिवप्रसाद 'कमल'

अधिक उपज की ओर 27

पाठकों की राय 29
सुरेश कुमारी चौहान

बलिदान (कहानी) 31
डा० श्यामसिंह 'शशि'

साहित्य समीक्षा 33

केन्द्र के समाचार 34

राज्यों के समाचार 35

दूरभाष 382406

एक प्रति 30 पैसे : वार्षिक चन्दा 3.00 रुपये

स० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

उपसम्पादक : त्रिलोकी नाथ

राष्ट्र के भावी कर्णधार

जिस तरह पृथ्वी की आशा वसन्त ऋतु पर निर्भर करती है उसी तरह किसी राष्ट्र की आशा उसके बच्चों पर निर्भर करती है। वास्तव में बच्चे ही किसी राष्ट्र के भावी कर्णधार होते हैं। यदि उनका पालन पोषण अच्छा होगा, उनमें अच्छे संस्कार भरे जाएंगे तथा उनकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था होगी तो राष्ट्र की बुनियाद सुदृढ़ होगी और वह उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाएगा। हमारे राष्ट्रनायक पं० जवाहर लाल नेहरू बच्चों को बहुत अधिक स्नेह करते थे। कभी-कभी तो वे उनमें इतने घुलमिल जाते थे कि वे स्वयं अपने को भी बच्चा समझने लगते थे। बच्चे भी उन्हें 'चाचा नेहरू' कहकर सम्बोधित करते थे। इसीलिए तो नेहरूजी का जन्म दिन (14 नवम्बर) देश भर में 'बाल दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

बाल दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि बच्चों के कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर हम देशवासियों का ध्यान आकृष्ट करें और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सजग करें। भारत एक गरीब देश है और देश के गरीब परिवार अपने बच्चों के लिए पौष्टिक खानपान की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाते। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी है कि उनके पौष्टिक खानपान की समुचित व्यवस्था हो। हाल में इस सम्बन्ध में जो गवेषणाएं हुई हैं उनसे पता चलता है कि यदि बच्चों को सात वर्ष की आयु तक समुचित मात्रा में प्रोटीनयुक्त भोजन न मिले तो उनके शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास में बाधा पहुंचती है और यह कमी उनके जीवन में सदा ही बनी रहती है। सम्पन्न परिवार के लोग तो अपने बच्चों के लिए समुचित रूप से पौष्टिक खानपान की व्यवस्था कर सकते हैं पर गरीब परिवार के लोगों के लिए यह सम्भव नहीं। यह ठीक है कि व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अधीन बच्चों को जहां तहां पौष्टिक आहार मुहैया किया जाता है पर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा पौष्टिक आहार से वंचित न रहे। बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं और राष्ट्र को ही उनके समुचित भरण-पोषण तथा समुचित विकास का दयित्व लेना चाहिए।

बाल कल्याण की दिशा में न सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही कार्यरत हैं बल्कि बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इस सम्बन्ध में ऐसी नीति अपनाई जाने की आवश्यकता है जिससे विभिन्न संस्थाओं की कार्रवाइयों में तालमेल कायम हो। दूसरे विभिन्न आयु के बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं। अत: बाल कल्याण कार्यों के लिए निर्धारित धन राशि का इस ढंग से उपयोग किया जाए कि उक्त सभी जरूरतें पूरी होती रहें।

शेष पृष्ठ 30 पर]

योजना के जनक जवाहरलाल

शिवकुमार 'कौशिक'

अब से यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सामुदायिक विकास योजना के जनक जवाहरलाल थे। पर उनके महान व्यक्तित्व के बारे में अक्सर जो लिखा जाता है, उसमें जाने या अनजाने उनके सन्दर्भ में इस योजना विशेष की उपेक्षा कर दी जाती है, हालांकि इसमें उनकी एक चिर आकांक्षा फलीभूत हुई है। वस्तुतः उनका जीवन लक्ष्य था कि देश में लोकतन्त्रीय व्यवस्था अपने सभी गुणों के साथ सार्थकता का आयाम ग्रहण करे और इसके लिए वह इस योजना को अति महत्वपूर्ण समझते थे। कारण, देश का भारी बहुमत गांवों में बसता है, और जब तक 80 प्रतिशत ग्रामीण प्रगति के पथ पर न हों, भारत में लोकतन्त्र का अर्थ निरर्थक है।

राष्ट्र नायक के जीवन में योजना के अन्तर्गत गांवों ने जो कुछ प्रगति की, उसे उन्होंने शान्तिपूर्ण क्रान्ति की संज्ञा दी थी, और इस योजना को उन्होंने उसके श्रीगणेश के पूर्व एक ऐसे बीज की संज्ञा दी थी, जो पहले एक पौधे की भांति उगेगा, और फिर एक विशाल वृक्ष बनकर सभी को छाया प्रदान करेगा। दरअसल, गांवों में इस योजना के पहुंचने से पूर्व वे प्रायः सभी पूर्ववर्ती शासन व्यवस्थाओं द्वारा उपेक्षा के विषय रहे थे, और ग्रामीण जीवन के लम्बे इतिहास में (जो कभी नहीं लिखा गया) यह पहला मौका था जबकि सदियों से शोषित, दलित एवं हर दृष्टि से पिछड़े ग्रामीणों को प्रगति के लिए प्रेरित किए जाने की दिशा में कदम उठाया गया था। अतः निश्चय ही वह ऐतिहासिक दृष्टि से एक क्रान्तिकारी कदम था और हर क्रान्तिकारी कदम की भांति उसके मार्ग में भी एक नहीं अनेक किस्म की बाधाएं थीं। आखिर क्रान्ति विरोधी तत्व किस समाज में नहीं, पर उनकी ओर से होने वाले विरोध के खतरे से राष्ट्रनायक भी बेखबर नहीं थे। वास्तव में, इस योजना का जन्म ही एक प्रकार से ऐसे समय में हुआ, जब राष्ट्र नायक प्रधान मन्त्री के रूप में अनेक समस्याओं से घिरे हुए थे।

अब से लगभग 19 वर्ष पूर्व गांधीजी के 83 वें जन्म दिन के अवसर पर 2 अक्तूबर 1952 को जब उन्होंने इस योजना का सीमित स्वरूप तथा प्रयोगात्मक आधार पर श्रीगणेश किया था तो देश विभिन्न कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा था। 5 वर्ष पूर्व स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश का जो विभाजन हुआ था, उसके फलस्वरूप उनकी 'शिशु' सरकार के कन्धों पर लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास का भारी बोझा आ पड़ा था। विभाजन के तुरन्त बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो हमला कर दिया था, उसके कारण भारत एक विचित्र राजनीतिक भंवर में फंस गया था। पाकिस्तान की इस कार्यवाही का दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत अपने विकास की दिशा में अपने जिन सीमित साधनों को लगाना चाहता था, उनमें से काफी कुछ मजबूत सेना पर भी खर्च करना पड़ा। विभाजन के फलस्वरूप केवल शरणार्थियों के पुनर्वास का ही बोझा भारत पर नहीं पड़ा, वरन् शोषित देश के जो सीमित साधन थे, वे और भी सीमित हो गए। वास्तव में भारत की जनता और भूमि ही विभाजित नहीं हुई, वरन उसकी रही सही अर्थ व्यवस्था भी क्षत-विक्षत हो गई। इस सम्बन्ध में यहां केवल यह उदाहरण ही पर्याप्त होगा कि बंगाल में जहां पटसन का उत्पादन होता था, वह पाकिस्तान में चला गया था, जबकि पटसन से माल तैयार करने वाले कारखाने भारत में रह गए थे। इसी प्रकार कई ऐसे क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे, जो अन्न उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और उपभोक्ता सामग्री तैयार करने वाले कुछ कारखाने ऐसे भी थे, जो पाकिस्तान में चले गए थे, पर उनके मालिकों को भारत में आकर रहना पड़ा था। तात्पर्य यह है कि भारत की एक महाद्वीप के रूप में जो प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भरता वाली आर्थिक व्यवस्था थी, उसका सन्तुलन पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो गया था। किन्तु इन सब कठिनाइयों के बावजूद राष्ट्रनायक ने देश को न केवल एक लोकतन्त्रीय संविधान दिया, वरन् लोकतन्त्र को पूर्ण परिमाण में सार्थक बनाने के लिए एक पंचवर्षीय योजना को भी अपनाया। नए भारतीय गणराज्य की स्वतन्त्रता प्राप्ति के केवल 4 वर्ष बाद ही यदि उसका नया संविधान और उसके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर आम चुनाव एक महान उपलब्धि थी, तो उससे बड़ी उपलब्धि पंचवर्षीय योजना थी जिसके अन्तर्गत देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या के लिए अलग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की व्यवस्था थी। कारण, उनकी धारणा थी कि जब तक स्वतन्त्रता और उसके फलस्वरूप होने वाले विकास के लाभ गांवों तक न पहुंचें, तब तक न

तो देश का कोई व्यक्तित्व बन सकता है और न ही वह लोकतन्त्र सुदृढ़ हो सकेगा जिसके लिए देश ने इतना बलिदान किया है। राष्ट्रनायक आत्म-निर्णय और आत्माभिव्यक्ति के पुजारी थे और वह अपने जीवन सिद्धान्त को देश की जनता में पूरी तरह फला-फूला देखना चाहते थे। यही कारण है कि सामुदायिक विकास योजना के सन्दर्भ में आगे चल कर उन्होंने पंचायती राज की व्यवस्था की, ताकि ग्राम स्तर पर जनता अपने जीवन से सम्बन्धित सभी पहलुओं का स्वयं निर्णय कर सके और उन्हें मूर्त रूप प्रदान कर सके, पर इसमें भी उन्हें प्रगति-विरोधी तत्वों का विरोध सहना पड़ा। वास्तव में देश में कुछ लोग नहीं चाहते थे कि देश की निरक्षर जनता को मत देने का अधिकार दे दिया जाए। वे मतदान के लिए कतिपय योग्यताओं का निर्धारण कर देने के पक्ष में थे, ताकि लोकतन्त्र समाज के केवल सीमित वर्ग में ही घूमता रहे। उन्होंने इस विश्वास पर सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान कराया कि चुनाव स्वयं में शिक्षा के साधन हैं, साथ ही जनता को जागृति की ओर ले जाने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि यदि उन्होंने संविधान में प्रौढ़ मताधिकार की व्यवस्था न की होती तो गांवों के न जाने कितने ग्रामीण देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने से वंचित रह जाते, साथ ही उस सामानता के अधिकार से भी, जो उन्हें इस मताधिकार से प्राप्त हुआ। पर वह सभी को समान भाव से समान अवसर दिए जाने के पक्षपाती थे। इसीसे जब उन्होंने देश के औद्योगिक विकास की योजना बनाई तो उसमें परम्परागत कृषि उद्योग की भी उपेक्षा नहीं की गई, जो आवश्यक साधनों के अभाव में पिछड़ा हुआ था और उसी के साथ उससे सम्बद्ध किसान भी सभी प्रकार के अभावों के मध्य निराशा भरा जीवन बिता रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इस निराशा ने उन्हें भाग्यवादी बना दिया था और वे अपने को निरुपाय समझने लगे थे। पर सामुदायिक विकास योजना ने उनमें आत्म विश्वास की भावना का संचार किया, और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जाग्रत भी। सामुदायिक विकास योजना के अनेक लक्ष्य थे और उनमें से एक यह भी था कि सोई ग्रामीण जनता जागे, और अपनी शक्ति को पहचाने, आपसी सहयोग से अपनी इस शक्ति को बढ़ाए और अपना खुद निर्माण करे। एक प्रकार से गांवों को स्वावलम्बी बनाने की यह सरकार की योजना थी, पर उसे पूरी तरह जनवादी योजना बनाए जाने की उसमें विशेष व्यवस्था रखी गई थी, ताकि लोकतन्त्रीय शासन के एक आधारभूत सिद्धान्त को पूरी तरह मूर्तरूप दिया जा सके। "जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए" यदि नेहरू जी ने यह सिद्धान्त देश की समूची लोकतन्त्रीय व्यवस्था के लिए अपनाया था तो गांवों के लिए भी उन्होंने अलग से इसी सिद्धान्त को दूसरे शब्दों में अपना लिया था, "समुदाय का, समुदाय द्वारा, समुदाय के लिए, सामुदायिक विकास।"

गांवों के लोकतन्त्रीकरण और लोकतन्त्रीय आधार पर उनके नव निर्माण के लिए नेहरूजी ने विभिन्न कठिनाइयों के मध्य जिस सामुदायिक विकास योजना का श्रीगणेश किया, वह निस्सन्देह एक क्रान्तिकारी कदम था, जिसे उन्हीं के शब्दों में, आयोग के रूप में शुरू किया गया था, पर अब वह अपने विभिन्न स्वरूपों से गुजरने के बाद उस विशाल वृक्ष की भांति पूरे देश के ग्रामीण आकार-प्रकार पर फैल पाने में सफल हो गया है। इसमें योजना के जनक श्री जवाहरलाल की निस्सन्देह एक आकांक्षा फलीभूत हो गई है, पर क्या वे लक्ष्य भी पूरे हो गए हैं, जिनका उन्होंने गांव के स्वरूप परिवर्तन के सन्दर्भ में निर्धारण किया था? आखिर, क्या लक्ष्य थे वे? वस्तुतः गांवों और ग्रामीणों की जितनी भी समस्याएं थीं, उन सभी के सामाधान का इस योजना द्वारा प्रयास करने का निश्चय किया गया था। अतः उसके अनेक पहलू हैं, जैसे स्वयं उसके जनक के व्यक्ति के, जो उसमें पूरी तरह प्रतिबिम्बित हुए हैं—लेकिन देखना है कि उनके विलक्षण कारी पहलू के कौन-कौन से रूप योजना के अमल में उभर कर आ सके हैं, और कितने उभारने बाकी हैं।

सामुदायिक विकास के नए आयाम

भागवतसिंह मेहता

भारत आदिकाल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारम्भ के समय देश की 86 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती थी और 1971 में यह प्रतिशत 80 रह गया है। इस 80 प्रतिशत में से 53 प्रतिशत व्यक्ति मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं।

वैदिक काल से पूर्व ही यहां सामुदायिक प्रशासन प्रचलित था जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गांव में एक ग्रामसभा होती थी जिसमें गांव के कुछ वरिष्ठ व्यक्ति प्रशासन की देख-रेख करते थे। चार्ल्स मेटकाफ के अनुसार "ये छोटे गणतन्त्र" अंग्रेजों के समय तक बिना किसी आधारभूत परिवर्तन के चलते रहे। किन्तु जागीरदारी प्रथा के प्रचलन और रैयतवाड़ी प्रथा लागू होने के कारण राज्य का सीधा व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित हो गया और इसके परिणामस्वरूप ग्राम प्रशासन की ये इकाइयां धीरे-धीरे कमजोर होने लगीं, इनके स्थान पर जातीय संस्थाओं को बल मिलने लगा।

विभिन्न राजकीय एजेन्सियों की मदद से कतिपय स्वार्थी तत्व ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का पूरा-पूरा शोषण केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करने लगे और भू-राजस्व का अंश भी गांव की सुख-सुविधाओं पर खर्च न कर स्वयं उपयोग करने लगे। फलस्वरूप वर्ग संघर्ष को जन्म मिला व गांव के नेतृत्व की मर्यादा भंग होने के साथ-साथ कतिपय तुच्छ प्रशासनिक अधिकारियों की मर्यादा व प्रतिष्ठा को अत्यधिक बल मिलने लगा। भूतपूर्व रियासतों के कुछ इलाकों में जहां बन्दोबस्त नहीं हुआ था, ग्राम समुदाय जागीरदार या राजा को सीधा भू-राजस्व का अंश देता था और सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में मुझे उन गांवों में जाने का अवसर मिला तब मैंने पाया कि उन गांवों में अन्य गांवों की अपेक्षा मुकदमेबाजी कम थी।

भू-राजस्व की नई व्यवस्था के कारण राज्य और किसान के बीच कई मध्यस्थों और जमींदारों का एक नया वर्ग खड़ा हो गया। इस प्रकार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था एकदम स्थिर हो गई व उसका पतन होने लगा। कई प्रकार के ग्रामीण उद्योगों को भी बड़ा धक्का लगा। अंग्रेजी शासन के दौरान गांवों में न तो कोई स्कूल होता था और न ही कोई अस्पताल खोलने के प्रयत्न किए गए। समाज में जातिवाद एवं सामान्तवाद की अनेक कुरीतियां व्याप्त हो गई। जनता की प्रवृत्तियां केवल अपनी जाति तक सीमित हो गई थीं किन्तु दरिद्रता तथा अज्ञान में जकड़े हुए लोग सम्पूर्ण जाति के उत्थान की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे राजा लोगों, बोहरों एवं पुजारियों को ही अपना एक मात्र मुक्तिदाता समझते थे। शहरों में रहने वाले बुद्धिजीवी वर्ग में से महात्मा गांधी के अलावा किसी ने भी गांवों की इस बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए नहीं सोचा था। उन्होंने ही "ग्रामीण विकास कार्यक्रम" की स्थापना की थी। यही कारण था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों के सर्वोन्मुखी विकास के लिए कुछ विशेष कदम उठाए गए।

"अधिक अन्न उपजाओ" कार्यक्रम लागू करने से इस बात का आभास हुआ कि ग्रामीण जीवन के विभिन्न भाग एक दूसरे से इतने मिले-जुले होते हैं कि उनका अलग से हल ढूंढने में कोई ठोस सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। 1928 में भारत में कृषि विषय पर नियुक्त रायल कमीशन ने भी यही बात कही थी।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपने आप में एक लक्ष्य एवं कार्य पद्धति दोनों ही है। लक्ष्य इस मायने में कि इसका उद्देश्य ग्रामवासियों को जाग्रत कर उनको इसके कार्यक्रमों में अधिक से अधिक क्रियाशील बनाना है और कार्य-पद्धति इस प्रकार कि यह अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं ही प्रदान कर देता है जो कि अन्य किसी प्रकार से प्रायः हल नहीं की जा सकतीं। इसमें एक प्रकार का भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण स्थापित करने में बड़ी सहायता मिलती है जिससे अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सहज में हो जाती है। वास्तव में इसके मुख्य लक्ष्य कई उपलक्ष्यों में बंटे होते हैं जिससे कि ग्रामवासियों को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी सरलता से हो जाती है।

गांवों में व्याप्त अकर्मण्यता और स्थिर अर्थ-व्यवस्था के वातावरण में जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में संलग्न थे उन्होंने शुरू में लोगों में इस कार्य के प्रति जोश एवं जागृति पैदा करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना किया। प्रारम्भ में उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भारी परिश्रम किया और बाद में सड़कों के निर्माण, स्कूल, पंचायत घर इत्यादि सुख-सुविधाओं पर जोर दिया। इन सभी प्रयत्नों में भारी सफलता प्राप्त हुई व पर्याप्त मात्रा में लड़कों ने स्कूलों में प्रवेश लिया एवं लोगों ने खेती के उन्नत तरीके अपनाने के लाभ के बारे में समझना शुरू किया। यह सामुदायिक विकास का प्रथम चरण था।

पंचायती राज की स्थापना के साथ

कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हुआ। सुविधा के लिए मैं दूसरे चरण का आरम्भ 1961 में मानता हूं जब तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। इस अवधि में विकास एजेन्सियों को ग्रामवासियों को इस कार्य की उपयोगिता समझाने में काफी सफलता प्राप्त हुई। प्रारम्भ में मानसून की खराबी के कारण खेती की दृष्टि से कई खराब वर्ष आए तो लोगों का इसके प्रति विश्वास टूटने लगा और यहां तक कि इसे तत्काल बन्द करने का भी सुझाव दिया। किन्तु जो लोग गांवों के विकास के इच्छुक हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि अनभिज्ञ अनपढ़ जनता में मिलकर काम करने की भावना जाग्रत करने के लिए समय, बुद्धि व बृहत विचारों की आवश्यकता होती है। कुछ असफलताओं के बावजूद भी इस कार्यक्रम को लोगों के दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन करने में आशानुकूल सफलता प्राप्त हुई। अब ग्रामवासियों में अपने को सुधारने की इच्छा जाग्रत हो गई है। इसके लिए ग्रामवासियों को अपने युवा व अच्छे नेता चुनने में काफी सहायता मिली। दूसरे शब्दों में इस कार्यक्रम को जनता की सेवा करने में भारी सफलता प्राप्त हुई और लोगों ने इसको यथावत् जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। प्रारम्भ में जो कदम उठाए गए थे वे केवल उन क्षेत्रों की ओर निर्देशित थे जहां विश्वसनीय वर्षा होती थी और जो सिंचाई के उपयुक्त थे। इससे केवल कुछ बड़े किसान ही इसमें संलग्न हो सके व लाभान्वित हो सके।

कार्यक्रम के अगले भाग में जिस समस्या से जूझना पड़ेगा वह यह कि इन कुछ किसानों, जो कि वैज्ञानिक साधनों के उपयोग से लाभ प्राप्त कर चुके हैं, व छोटे किसानों के मध्य उत्पन्न सामाजिक आर्थिक व मनोवैज्ञानिक भेद को दूर करना होगा। यद्यपि यह एक कठिन समस्या है तथापि यह सामुदायिक विकास एवं योजना की सफलता की सच्ची परीक्षा होगी। ग्रामीण कलाकारों, मजदूरों व छोटे किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को सुधारने हेतु समस्त उपाय निर्देशित किए जाएंगे। इस अवधि में सबसे आवश्यक कदम यह होगा कि छोटे किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए ताकि वे कुछ अर्जन कर सकें।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पहले चरण में कार्य व सुविधाओं को प्राथमिता दी गई थी, दूसरे चरण में कृषि को व तृतीय चरण में (वर्तमान में) खाद, बीज, इत्यादि की उपलब्धि पर बल दिया गया है। इसके चौथे चरण में रोजगार की उपलब्धि पर बल देना होगा। चूंकि देश की काफी बड़ी आबादी (93 प्रतिशत) खेती पर निर्भर करती है, भूमि पर उसकी सहन शक्ति से काफी अधिक दबाव है। कृषि में अलाभकारी क्रान्ति को रोकने के लिए भूमि पर से यह दबाव हटाना होगा, जिसका एकमात्र उपाय ग्रामीण जनसंख्या का ध्यान दूसरे लाभकारी धन्धों की ओर आकर्षित करके व छोटे किसानों को कर्ज एवं प्रोत्साहन देकर ही हो सकता है।

अगले 20 वर्षों में भूमि पर से यह दबाव हटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित कर वहां के लोगों को उनमें रोजगार दिया जाना चाहिए और आशा की जाती है कि लोग इस प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम स्वीकार करेंगे।

तृतीय चरण में किए जा रहे काम के फलस्वरूप ग्रामीण इसके चौथे चरण में अपने परिवारों के आकार को छोटा करने हेतु सुझाए गए उपायों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में अमल करेंगे व इस प्रकार परिवार नियोजन पर बहुत अधिक बल दिया जाएगा। कार्यक्रम का पांचवा चरण "विशेषज्ञों' का होगा जिसमें विस्तार एजेन्सियों को कृषि एवं उद्योग दोनों में शिक्षित व विशेष जानकारी वाले ग्राहकों की आवश्कताओं की पूर्ति के लिए विशेषज्ञ बनाना होगा। यह वह समय भी होगा कि जब पंचायती राज्य का ढांचा भी बदलेगा। गांवों की पंचायतों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इसका अधिक से अधिक काम नगरपालिका के समान सीमित होगा। अधिक विकास के साथ साथ पंचायत समितियों का आकार भी सीमित कर दिया जाएगा। जिलास्तरीय व खण्ड स्तरीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली में भी काफी अन्तर आ जाएगा। उनका मुख्य काम कर इक्ट्ठा करना, कानून व व्यवस्था की देख-रेख करना तथा पानी इत्यादि सुविधाओं को उपलब्ध कराने तक ही सीमित होगा। कृषि विकास कार्य या तो सहकारी अथवा सरकार की अन्य विशेष संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। खण्ड स्टाफ रोजगार देगा, पंचायती राज स्थानीय प्रशासन व ग्रामीण विकास के बीच एक कड़ी होगी व सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों को उपयुक्त वातावरण बनाने में मदद देंगी। इनको सुदृढ़ बनाना होगा। खण्ड विकास अधिकारी के समान एक ऐसे व्यक्ति की जो ग्रामीण समस्याओं से अवगत हो व जो आने वाले वर्षों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समस्याओं को अपनी दूरदर्शिता से विचार सके, आवश्यकता होगी। सामुदायिक विकास के प्रत्येक चरण में सुविधा कार्यक्रमों पर बहुत ध्यान दिया जाएगा क्योंकि यह एक बहुत प्रभावशाली सामाजिक प्रलोभन होता है व क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता व समाज के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। स्थायी एवं अपेक्षित लक्ष्यों की ओर कोई ध्यान न देकर केवल उत्पादन के भौतिक लक्ष्यों के पीछे पड़े रहने से कोई लाभ नहीं होगा। पृथकता में किए गए उपायों का विपरीत फल होगा।

यदि ग्रामवासियों की समस्याओं को सहानुभूति व विवेकपूर्ण तरीकों से हल किया जाए व उन्हें पृथकता से हल करने के प्रयत्न न किए जाएं तो निश्चय ही हमारे ग्रामवासी बदलते युग की चुनौतियों व समस्याओं से अवश्य ही जूझते रहेंगे जैसा कि वे अपने को इसके लिए पहले ही सक्षम सिद्ध कर चुके हैं। यह अन्ततः सामुदायिक विकास प्रणाली ही है जिसे हमें चालू रखना है।

खाद्यान्न के विपणन में सहकारियों का योग

एम० एम० के० वाली

थोक गल्ला व्यापार का समाजीकरण करने के उद्देश्य से नवम्बर, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद की मीटिंग में राज्य व्यापार का विचार रखा गया था। बाद में एक कार्यकारी दल ने सिफारिश की कि विपणन सहकारियों का एक जाल बिछाया जाए जो कुल उपलब्ध माल का विपणन कर सके। भारत सरकार ने फैसला किया कि खाद्यान्न के राज्य व्यापार का ढांचा ऐसा हो जो कृषि उपज को गांव स्तर पर सेवा सहकारियों द्वारा इकट्ठा कराकर विपणन सहकारियों और शीर्ष विपणन सहकारियों के माध्यम से खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके। सरकार ने निर्णय किया कि इस लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र पाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए और इस अन्तरिम समय में सहकारियां अधिक से अधिक गल्ला व्यापार को हाथ में ले लें।

1964-65 के दौरान राज्य व्यापार को पक्के तौर पर चालू करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। खाद्यान्न की खरीद, भण्डारण, लाने ले जाने, वितरण और विक्रय आदि के लिए जनवरी, 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। इसी वर्ष भारत सरकार ने खाद्यान्न की मूल्य नीति निर्धारण करने के लिए कृषि मूल्य आयोग का गठन किया। इस सबके परिणामस्वरूप खाद्यान्न के विपणन में और राज्य व्यापार में बहुत कुछ तारतम्य बन गया और सहकारियों को इस सारी प्रणाली के कार्यक्षेत्र में ही काम करना पड़ा।

खाद्यान्नों के सहकारी विपणन का काम 1963-64 तक धीमा रहा और सहकारियों ने कुल 40 करोड़ रुपए के मूल्य के खाद्यान्न का विपणन किया। 1964-65 में इस काम को प्राथमिकता दी गई और इसे मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए थे। छोटे उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए विपणन सहकारियों द्वारा कृषि उत्पादन को सीधे खरीदने की योजना भी चलाई गई थी। सम्बद्ध विपणन सहकारियों के लाभ और निर्देशन के लिए तकनीकी और उन्नत सैल स्थापित करने में सहायता देने के लिए शीर्ष विपणन सहकारियां शुरू की गईं। धान के विपणन के लिए सहकारी क्षेत्र में चावल पीसने की क्षमता बढ़ा दी गई थी।

इन कार्यों के फलस्वरूप और कई राज्यों में खाद्यान्न वसूली के लिए सहकारियों के प्रयत्नों द्वारा 1964-65 में सहकारियों के कार्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और इन्होंने 99 करोड़ रुपए के मूल्य के खाद्यान्नों का विपणन किया जो 1963-64 में किए गए विपणन के दुगने से भी अधिक था। तब से सहकारियों के कार्य में लगातार उन्नति हो रही है और अब 230 करोड़ रुपए के मूल्य के खाद्यान्नों का विपणन करके अपने काम के प्रति जनता में विश्वास जमा लिया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में सहकारियों द्वारा 900 करोड़ रुपए के मूल्य के कृषि उत्पादनों के विपणन का लक्ष्य है जिसमें से 250 करोड़ रुपए के मूल्य के खाद्यान्नों का विपणन भी शामिल है और वर्तमान कार्य को देखते हुए यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वे इस लक्ष्य को पूरा करने में पूर्ण समर्थ होंगी।

हालांकि अनेक राज्यों में सहकारियों का खाद्यान्न वसूली का काम बहुत ही बढ़िया रहा है, तो भी किन्हीं कारणों से उन्हें कुछ राज्यों में पूरी तरह काम करने का अवसर नहीं मिला। सहकारी क्षेत्र में खाद्यान्नों के विपणन की उन्नति और समस्याओं का विवेचन करते हुए राज्यों के सहकारिता मन्त्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न वसूली के लिए मूल रूप से सहकारियों का प्रयोग करना चाहिए।

1971-72 के चालू रबी के मौसम में सहकारियों को पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक गेहूं वसूल करने का काम दिया गया है, विशेष रूप से उत्तरप्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में। उत्तरप्रदेश में राज्य सहकारी विपणन संघ के लिए डेढ़ लाख मीट्रिक टन गेहूं वसूल करने का लक्ष्य रखा गया है जबकि पिछले वर्ष 75,000 मीट्रिक टन गेहूं वसूल करने का लक्ष्य था। संघ ने 25 जुलाई, 1971 तक 2.09 लाख मीट्रिक टन वसूल कर लिया था, जो निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है।

हरियाणा में राज्य पूर्ति और विपणन संघ के लिए 1.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं वसूल किया गया था। 30 जून, 1971 तक वास्तव में 1.08 लाख मीट्रिक टन गेहूं इस संघ ने वसूल कर लिया था। पंजाब में राज्य सहकारी विपणन संघ जुलाई के पहले सप्ताह तक ही अपने 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं वसूल करने के लक्ष्य से 38,000 मीट्रिक टन अधिक गेहूं वसूल कर चुका है। इसके अलावा, राज्य खाद्य विभाग भी अपने लक्ष्य का एक बड़ा भाग सहकारी विपणन समितियों द्वारा वसूल कर चुका।

मध्यप्रदेश में गेहूं की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम ही राज्य सरकार का विशेष एजेण्ट है। भारतीय खाद्य निगम ने 240 क्रेता एजेण्ट नियुक्त किए हैं जिनमें से 190 विपणन या सेवा सहकारियां हैं। इससे सहकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट होती है। इसी तरह राजस्थान और गुजरात में भी भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार का विशेष एजेण्ट है और निगम ने व्यापारियों के साथ ही क्रमशः 26 और 34 सहकारियों को इन दोनों राज्यों में अपना क्रेता एजेण्ट नियुक्त कर दिया है।

इस वर्ष अब तक कुल 44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की वसूली की गई है। जिसमें से 25 प्रतिशत से अधिक की वसूली सीधे सहकारी समितियों द्वारा की गई है। इसमें हरियाणा और पंजाब के खाद्य विभागों की ओर से सहकारियों द्वारा की गई वसूली शामिल नहीं है। विभागों का हिस्सा यदि देश में की गई वसूली का 50 प्रतिशत मान लिया जाए तो सहकारियों द्वारा की गई वसूली कुल वसूली का लगभग 40 प्रतिशत है। 1970-71 के खरीफ के मौसम में भी सहकारियों ने अनाज की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य सरकारों द्वारा की गई वसूली में उन्होंने अपनी क्षमतानुसार योगदान किया था।

अन्नोत्पादन में हुई बढ़ोत्तरी और इससे मूल्यों पर होने वाले प्रभाव को देखते हुए अनाज की वसूली का काम राज्य सरकारें या भारतीय खाद्य निगम ही कर सकता है। अभी तक अधिकांश वसूली मण्डी स्तर पर आढ़तिए ही करते रहे हैं। इसका परिणाम यह होता था कि किसानों को मूल्य निर्धारण का लाभ नहीं मिल पाता था। यह समस्या ऐसे कई राज्यों में अधिक थी जहां छोटी जोतें हैं और कम उपज होने की वजह से किसान अनाज को स्वयं मण्डी में नहीं लाते थे वरन् घूम घूम कर अनाज की वसूली करने वाले व्यापारी उनसे अनाज खरीद कर मण्डियों में लाते थे। किसान को वास्तव में पूरा लाभ तभी होगा जब वह स्वयं ही अपने उत्पादन को मण्डी में ले जाएगा। बड़े पैमाने पर वसूली के काम के लिए सहकारियों के अलावा और कोई भी संस्था इतनी सक्षम नहीं है। सहकारी समितियां तो उत्पादकों की ही संस्था है और उनका किसानों से सीधा सम्पर्क होता है तथा उनमें आवश्यक सामाजिक दृष्टिकोण भी होता है।

किसान से सीधे वसूली करने के लिए पास में स्थित सहकारियों जैसे—ग्रामसेवा सहकारियां, सहकारी बीज भण्डार (उत्तरप्रदेश) और सहकारी विपणन समितियों की शाखाओं को ही काम करना होगा।

उत्तरप्रदेश राज्य में कुल 1400 सहकारी बीज भण्डारों में से 250 भण्डारों को इस रबी की फसल की वसूली का काम सौंपा गया था और उन्होंने राज्य में हुई कुल वसूली में से 60 प्रतिशत वसूली की। इससे स्पष्ट है कि ये वसूली कार्य दक्षतापूर्वक सन्तोषजनक रूप से कर सकते हैं।

आगामी वर्षों में फालतू अनाज अधिक होगा इसलिए विस्तृत योजना बनानी होगी और वित्तीय, संस्थात्मक, भण्डारण और अन्य पहलुओं के लिए कार्यक्रम तैयार करने होंगे ताकि सहकारियां इस विशाल कार्य को सुगमता से कर सकें। नीति निर्धारण और लम्बी अवधि तक सहकारियों के कार्य के क्रियान्वयन के पहलुओं पर राज्य सरकारों के निर्णय जान लेना आवश्यक है ताकि सहकारी समितियां अपने आपको तैयार कर सकें। ऐसे क्षेत्रों का चयन करना होगा जहां विशेष रूप से अतिरिक्त अनाज उपलब्ध हो और ऐसे क्षेत्रों में उचित ग्राम सहकारी समितियां और विपणन सहकारी समितियां भी चुननी होंगी। इन समितियों के अधिकारियों को गुण नियन्त्रण में प्रशिक्षण देना होगा।

साथ ही सहकारियों की आर्थिक जरूरतों का पूर्वानुमान लगाकर उनकी पूर्ति के लिए भी पहले से ही इन्तजाम करने होंगे। जिला स्तर पर सम्बन्धित सरकारी विभागों, भारतीय खाद्य निगम और सहकारी समितियों के कार्य में तालमेल बिठाने के लिए उचित करवाई करनी होगी और आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए पहले से ही उपाय सोचने होंगे।

सहकारी वसूली न केवल अनाज की वसूली करने में ही सफल है बल्कि इस मौलिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने में यह सफल रही है कि मूल्य निर्धारण से प्राथमिक उत्पादकों को लाभ पहुंचता है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रित ढांचा और आर्थिक नेतृत्व पनपता है। सहकारिताओं की इस विशेष भूमिका के बारे में प्रोफेसर धनंजय राव गाडगिल ने एक बार राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालय और खाद्य निगम से अपील की थी कि उन्हें सहकारियों को अपना एजेण्ट नियुक्त करने में किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए।

रोजगार के बढ़ते अवसर

हमारी आर्थिक योजना का लक्ष्य सभी लोगों को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना है। लेकिन भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सभी स्वस्थ लोगों को रोजगार देना एक बड़ा कठिन काम है।

दूसरे अधिक जनसंख्या वाले कम विकसित देशों की तरह भारत में भी बेरोजगारों की संख्या काफी है। यह बड़े अफसोस की बात है कि इस प्रकार हमारी इतनी बड़ी जनशक्ति बेकार चली जाती है और भारी मात्रा में संसाधनों का भी कोई उपयोग नहीं हो पाता। इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह है कि बहुत से लोगों की जिन्दगी पराश्रित बनी रहती है।

पहली दो योजनाओं में बेरोजगारी की समस्या का हल निकालने की दिशा में काफी दृढ़ आधार रख दिया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बांध निर्माण, भवन निर्माण, सड़क, स्कूल और अस्पताल आदि बनाने के कार्यों पर काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता रहा। ऐसा पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा है। जैसे जैसे विकास कार्यों में विस्तार होता है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं पर रोजगार चाहने वाले लोगों की संख्या और भी तेजी से बढ़ती रही है।

चौथी योजना की नीति यह है कि आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए उपलब्ध श्रम व संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग किया जाए, रोजगार को आर्थिक विकास के साथ जोड़ा जाए। इस नीति के अपनाने से पूरी विकास प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा और इससे शहरी विकास की अपेक्षा ग्रामीण विकास पर, बड़ी परियोजनाओं की जगह छोटी परियोजनाओं पर तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा।

चौथी योजना में बढ़ते हुए कृषि विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा जो पहले से ही कृषि कार्य में लगे हैं उन्हें पूरा रोजगार मिल सकेगा। योजना में बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जाएगा जिससे अधिक काम बढ़ेगा और रोजगार के अवसर आएंगे। सिंचाई कार्यों से ही सम्बद्ध बाढ़ नियन्त्रण कार्य और जल व्यवस्था कार्यक्रमों से भी लाखों बेरोजगारों को काम मिल सकेगा। सहायक और लघु उद्योगों के विकास के अलावा, ग्रामीण और घरेलू उद्योगों को लगातार सहायता, मरम्मत व रखरखाव की सेवाओं के विस्तृत विकास, निर्माण कार्यों में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचार, यातायात और बिजली व्यवस्था के विस्तार आदि से रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे पर ये अधिकतर आंशिक होंगे तथा विशेषकर

त्रिलोकी नाथ

गरीब परिवारों की महिलाओं को इनसे लाभ पहुंचेगा।

इसके अलावा, आय में वृद्धि हो जाने से कृषि आदानों और उपभोक्ता वस्तुओं के विपणन की समुचित व्यवस्था का विकास सम्भव होगा और लोगों को इससे भी रोजगार मिल सकेगा। ट्रैक्टर और दूसरे कृषि यन्त्रों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिए कृषि सेवा केन्द्र खोलने होंगे जिनमें मालिक खुद ही काम करेंगे और इस तरह बेरोजगारी कम होगी। ग्रामीण विद्युतीकरण में अधिक पैसा लगाने से लाइनमैनों और अन्य प्रशिक्षित कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध होगा।

वैसे तो बेरोजगारी की समस्या समाज के सभी वर्गों को अपने दायरे में घेरे हुए है पर गरीबी, कुपोषण आदि के रूप में इसका प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ही अधिक पड़ता है। अतः इन क्षेत्रों में नए काम और रोजगार के नए अवसर खास तौर से पैदा करने होंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर रोजगार और विकास की कई योजनाएं देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा रही हैं। इनमें से लघु कृषक विकास एजेंसियां, लघुतर किसान और कृषि मजदूर तथा ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम की योजनाएं प्रमुख हैं।

लघु कृषक विकास एजेंसी

देश में 52 प्रतिशत किसानों के पास छोटी जोतें हैं पर यह कुल फसल क्षेत्र का केवल 19 प्रतिशत है। नई कृषि नीति से बड़े किसानों को ही लाभ पहुंचा है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े और छोटे का अन्तर बढ़ गया है।

छोटे किसानों की समस्या हल करने के लिए उन्हें ऋण आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और उन्हें नई तकनीकें अपनाने की ओर प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें सघन खेती करके अपनी गतिविधियां बढ़ाने में मदद दी जाए। इसीलिए चौथी योजना में देश भर में चुने हुए जिलों में 46 परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

लघु कृषक विकास एजेंसी का काम अपने क्षेत्र के छोटे किसानों की समस्याओं का पता लगाकर उचित कार्यक्रम तैयार

करना, उन्हें आदान सेवाएं तथा ऋण उपलब्ध कराना तथा समय समय पर उन्नति की समीक्षा करते रहना है। यह काम इस स ाय सहकारियों, जिला विकास एजेंसियों, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्रों का चुनाव राज्य सरकार की सलाह से किया गया है। ऐसी सम्भावना है कि हर परियोजना क्षेत्र में लगभग 50,000 कृषक परिवार इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रत्येक परियोजना की अपनी एक एजेंसी है जो समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस एजेंसी का सबसे पहला काम उन छोटे किसानों का पता लगाना है जो समर्थ बन सकते हैं। वैसे तो इस काम के लिए कोई खास तरीका नहीं अपनाया गया है पर यह मान लिया गया है कि सामान्यतया छोटे किसान की जोत की सीमा सिंचाई वाले क्षेत्रों में ढाई से पांच एकड़ तक और पड़ुआ क्षेत्रों में साढ़े सात एकड़ हो सकती है।

फिर यह एजेंसी किसान को जरूरी ऋण तथा आदान और सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करती है। एजेंसी ऋण नहीं देती बल्कि विभिन्न एजेंसियों से ऋण दिलाने की प्रक्रिया में सहायक होती है।

46 परियोजनाओं में से 45 को मंजूरी मिल चुकी है और 43 में कार्य शुरू हो चुका है। इन एजेंसियों को काम शुरू करने के लिए धन दिया चुका है। किसानों के चुनाव का काम और ऋण देने का काम भी शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इस योजना का काम 1971-72 तक तेजी पकड़ लेगा।

कृषि मजदूर

ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास से कमजोर तबकों को लाभ पहुंचाने के काम को चौथी योजना में विशेष प्राथमिकता दी गई है और इसी बात को ध्यान में रखकर लघुतम किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता करने के उद्देश्य से एक योजना बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य लघुतम किसानों को बागवानी, पशुपालन, डेयरी उद्योग द्वारा अपनी छोटी जोतों का अधिकतम उपयोग करने में सहायता करना है जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जा सकें।

इस योजना के अन्तर्गत चौथी योजना की अवधि में चुने हुए जिलों में 41 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। परियोजनाएं मूलतः बाजार (विपणन) पर आधारित होंगी और ऐसे उपभोक्ता क्षेत्रों के गिर्द होंगी जहां बढ़े हुए उत्पादन की खपत आसानी से हो सके।

इस योजना के अन्तर्गत वे लघुतम किसान आते हैं जिनके पास सामान्यतया एक हैक्टर (ढ़ाई एकड़) से अधिक भूमि नहीं होती, या वे कृषि मजदूर आते हैं जिनके पास रहने लिए भूमि है और जिनकी आधी से अधिक आय कृषि में मजदूरी करके होती है। इस योजना के अधीन पहले ऐसे किसानों को चुना जाता है जिनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि है। चौथी योजना की अवधि में प्रत्येक परियोजना में लगभग 20,000 परिवारों को ले लिया जाएगा जिसमें लगभग दो तिहाई लघुतम किसानों के परिवार होंगे और शेष एक तिहाई कृषि मजदूरों के होंगे।

इस परियोजना की विशेषता यह है कि कृषि मजदूरों और लघुतम किसानों को आर्थिक कार्य करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करनी होंगी। इस काम के लिए विशेष रूप से एजेंसी बनाई जाएगी जो इनको ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करेगी। एक परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से औसतन एक करोड़ रुपया मिल जाएगा। यह राशि चुने हुए क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यों द्वारा निर्धारित राशि के अलावा होगी।

ग्रामीण निर्माण कार्य

खेतिहर मजदूरों की समस्या सूखा वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से गम्भीर है और इसके लिए ऐसे ग्रामीण निर्माण कार्य चलाए जाएंगे जिससे अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें और भूमि तथा श्रम की उत्पादकता भी बढ़ सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चौथी योजना की अवधि में सूखा वाले क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है। ऐसे 54 जिले चुन लिए गए हैं जहां यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

इन जिलों में एक ऐसा निर्माण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं जो श्रम आधारित होगा। ऐसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमि और जल के प्राकृतिक संसाधनों का विकास और संरक्षण बहुत जरूरी है। इन मजदूर कार्यक्रमों में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :—

(1) मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाएं

(2) भूमि संरक्षण और वन रोपण

(3) क्षेत्र को अन्य स्थानों से जोड़ने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए गांव और जिले की सड़कों का निर्माण।

प्रत्येक चुने हुए जिले के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा। इसमें भी ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के उद्देश्यों से सम्बद्ध योजनाएं होंगी जिनमें स्थानीय-क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा।

वर्तमान स्थिति में कार्यक्रम के अधीन अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है तो भी कार्यक्रम में खर्च होनेवाले प्रति एक करोड़ रुपये से 25,000 से 30,000 लोगों को काम मिल जाएगा।

ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम लागू करने के लिए 13 राज्यों के 54 जिले चुने गए हैं और इनमें से चालू वर्ष में फरवरी तक 45 जिलों में इस कार्यक्रम को मंजूरी मिल चुकी है। 1970-71 में इन योजनाओं के लिए 13.85 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। शेष 9 जिलों की योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सभी 45 जिलों में कार्य शुरू

किया जा चुका है।

वृहत् रोजगार योजना

इस वर्ष अप्रैल में ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी तौर पर शीघ्र रोजगार उपलब्ध करने की एक नई स्कीम लागू की गई है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई है पर राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें इसे लागू कर रही हैं। अभी यह योजना पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं है पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति मिल जाने के बाद यह पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली जाएगी। इस स्कीम पर प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ रुपया व्यय होगा।

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न ग्रामीण परियोजनाएं चलाकर अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करना है। इसके दो पहलू हैं। पहला तो यह कि हर परियोजना वर्ष में 10 महीने के लिए प्रत्येक जिले में से 1,000 व्यक्तियों को काम दे और दूसरा यह कि प्रत्येक परियोजना स्थानीय विकास योजनाओं के अनुकूल ही ऐसे कार्य करे जो काफी अर्से तक चल सकें।

इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे परिवारों के सदस्यों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाएगी जिनके सभी युवा सदस्य बेरोजगार हों। राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा जिन परियोजनाओं को लागू करने का प्रस्ताव है उनमें लघु सिंचाई योजना, भू संरक्षण, बाढ़ नियन्त्रण तथा जल विकास योजना, पेयजल योजना और सड़क निर्माण योजना आदि शामिल हैं।

देश के 355 जिलों में से 326 जिलों में चलाई जाने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में सुझाव आ चुके हैं। 317 जिलों के सुझाव स्वीकृत हो चुके हैं और इन पर आने वाली लागत जो 34 करोड़ 44 लाख रुपये है राज्य सरकारों को दे दी गई है। शेष 19 जिलों के सुझाव अभी विचाराधीन हैं और उनके लिए शीघ्र ही मंजूरी दे दी जाएगी। इस बारे में अभी सूचना नहीं मिल पाई है कि कितने जिलों में ये परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं तो भी अब तक मिली रिपोर्टों के अनुसार काफी जिलों में परियोजनाओं का काम शुरू हो चुका है। कई जिलों में तो काम पूरा भी किया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर पांडिचेरी में दो महीनों में 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

कुल मिलाकर अब देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए भारी प्रयास किए रहे हैं और इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि बेरोजगारी को समूल नष्ट कर दिया जाए। पिछले बीस वर्षों के कटु अनुभव और जी तोड़ प्रयत्नों के परिणामों को देख चुकने के बाद ही इस प्रकार की नीति बनाई गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों में तेजी आने पर इसके परिणाम सामने आएंगे। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना के ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक प्रयत्नों से ही सफल हो पाएंगे। सिर्फ सरकारी प्रयत्नों से तो एक निश्चित सीमा तक ही विकास सम्भव है। देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर लाने के लिए तो गैरसरकारी और वैयक्तिक पहल तथा सहयोग अत्यन्त आवश्यक है और इसके बिना अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी।

गांव ये भारत मां के प्राण

गांव ये भारत मां के प्राण।
बसते जहां सादगी श्रम के साधक कृषक महान्,
पौ फटने से पूर्व चढ़ें, कन्धों पर जिनके हल,
कौओं के भोंपे बजते, पनघट पर होती हलचल,
शीतल मन्द सुगन्ध पवन के चलते हलके झोंके,
मन्दिर में आरती, बजे स्वर घड़ियालों घण्टों के
अल्ला हो अकबर मस्जिद में उठती जोर अजान,
गांव ये भारत मां के प्राण।
जहां न कीमत दिखलावे की, सदा सादगी रानी
मेहमानों के आने पर बिछती बस खाट पुरानी,
जलखावे की मुख्य वस्तु, गुड़ भेली औ पानी,
कहने को जहां न कुछ, बस केवल करुण कहानी,
जहां अभावों में रहकर भी, हो मुख पर मुस्कान।
गांव ये भारत मां के प्राण।

नागेन्द्रनाथ पाण्डेय 'श्रमिक'

युवा शक्ति के उपयोग से गांवों का कायापलट

कुलदीप चन्द अग्निहोत्री

युवा समस्या आज न केवल भारत के क्षितिज को म्लान किए हुए है बल्कि सम्पूर्ण विश्व इससे संत्रस्त है। युवकों में घुटन, पीड़ा, आक्रोश की अभिव्यक्ति तोड़फोड़ और लूटपाट में होती है जो सर्वव्यापक समस्या का प्रत्यक्ष रूप है। नगरों, कस्बों में तो युवा असन्तोष का यह लावा फूट पड़ता है और उसकी अनल से तप्त शासक और शासित दोनों इसके निराकरण की ओर उन्मुख होते हैं परन्तु ग्रामों में असन्तोष की अभिव्यक्ति इस रूप में भी नहीं हो पाती। अतः वहा की युवा शक्ति एक मानसिक घुटन से संतप्त रहती है। उसे लगता है कि उसके लिए प्रगति व ज्ञान के सभी मार्ग अवरुद्ध हैं। ज्ञान का पिपासु ग्रामीण मस्तिष्क अभाव का शिकार होकर रह जाता है क्योंकि ग्रामों में प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं के अलावा, महाविद्यालयों की शिक्षा के लिए कोई सुव्यवस्था नहीं है और सभी ग्रामीण अभिभावक आर्थिक दृष्टि से इतने सम्पन्न नहीं होते कि अपने लड़कों को नगरों में रख कर पढ़ा सकें। अतः ग्रामीण युवक निरुद्देश्य जीवन व्यतीत करने अथवा अन्यान्य समस्याओं को जन्म देने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते। ग्राम की इस सारी युवा शक्ति को दिशा देने व उनके मस्तिष्क का यथेष्ट विकास करने का काम केवल शासन का ही नहीं है बल्कि इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा, क्योंकि अपने यहां भारतीय परम्पराओं के अनुसार समाज को सर्वदा शासन द्वारा ऊंचा स्थान दिया जाता रहा है।

हमारे अपने गांव मुकन्दपुर में हमने इस समस्या से जूझने की सोची। नगरों से पढ़कर आए कुछ विद्यार्थियों के साथ बैठकर गांव में एक युवक संगठन बनाने की योजना बनाई। इस संगठन के सदस्य बनने के लिए ऐसा सोचा गया कि सदस्य बनने वाला युवक कम से कम आठवीं पास अवश्य होना चाहिए। ग्राम में ही पब्लिक हाई स्कूल होने के कारण आठवीं तक तो सभी युवक पढ़े हुए थे, और कुछ दसवीं तक पढ़े हुए भी थे। कुछ लोग इस पक्ष में भी थे कि अपढ़ युवकों को भी इसका सदस्य बनाया जाए, परन्तु चूंकि संगठन साक्षरता से सम्बन्ध रखने वाला था इसलिए आठवीं पास होने की शर्त आवश्यक थी। दूसरे दिन गांव के आठवीं, दसवीं, व ऊपर के पढ़े लिखे युवकों की बैठक ग्राम के शिव मन्दिर में, जो गांव का सार्वजनिक स्थान है, बुलाई गई। वहां बैठकर संगठन की सारी योजना तैयार की गई, संगठन का नाम बजरंगबली युवक परिषद् रखा गया। उस दिन की उपस्थिति 31 रही। मन्दिर के एक कमरे में ही परिषद का कार्यालय खोल दिया गया। प्रत्येक सदस्य से एक रुपया चन्दा लिया गया। उसके बाद पांच युवकों का एक मण्डल ग्राम के सरपंच से मिला। उसे संगठन की सारी योजना समझाई। सरपंच महोदय ने हमें पंचायत की ओर से 100 रुपये दिए। दूसरे दिन से मन्दिर में ही एक छोटा सा वाचनालय खोल दिया। शुरूआत होने के नाते उसमें केवल दैनिक 'जन प्रदीप' (हिन्दी), 'अजीत' पंजाबी, 'जाह्नवी' मासिक व बड़े बूढ़ों के लिए दैनिक उर्दू 'प्रदीप' की व्यवस्था की गई। फिर उसी वाचनालय में साप्ताहिकों में तीन की और वृद्धि की गई। कलकत्ता से प्रकाशित हिन्दी सप्ताहिक 'मधुसूदन, भोपाल से प्रकाशित 'चरैवेति' व बम्बई से प्रकाशित 'धर्मयुग' वाचनालय में आते हैं। दैनिक में वीर प्रताप, अकाली पत्रिका, अंग्रेजी का दी मदरलैंड भी आता है। इसके साथ ही एक छोटा पुस्तकालय भी स्थापित किया गया जिसमें 1,050 पुस्तकें हैं। साक्षरता प्रकाशन लखनऊ का अधिकांश साहित्य पुस्तकालय में उपलब्ध है। प्रेमचन्द व वैद्य गुरुदत्त की पूरी पुस्तकें पुस्तकालय में मौजूद हैं।

परिषद की एक पाक्षिक बैठक होती है जिसमें सभी सदस्यों का भाग लेना आवश्यक होता है। इस बैठक के समय को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में ग्राम पंच व सरपंच भी भाग लेते हैं और ग्राम की समस्याओं के बारे में विचार किया जाता है। उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं पंचायत उनको लागू करने का भरसक प्रयत्न करती है। कई बार परिषद भी सार्वजनिक हित के कार्य स्वयं आगे होकर करती है। उदाहरणतः पिछली बार शासन की ओर से कहा गया कि मुकन्दपुर से भिगड़ा तक की सड़क पक्की बना दी जाएगी यदि उस पर मिट्टी गांव वाले डालें। परिषद ने यह काम हाथ में लिया और कुछ ही दिनों में मिट्टी डालने का कार्य-पूर्ण कर दिया। फलस्वरूप आज सड़क पक्की बन गई है। परिषद ने अपनी ओर से धन एकत्रित करके गांव में नल भी लगवाया। मन्दिर के इर्द गिर्द चारदीवारी करवाई। अस्तु बैठक के दूसरे भाग में देश की राजनैतिक स्थिति पर विचार किया जाता है। अब परिषद के सदस्य इतने सुविज्ञ हो

शेष पृष्ठ 13 पर]

विकासोन्मुख समाज में श्रमिकों की भूमिका

अखिलेश अंजुम

विश्व में जिस गति से तकनीकी का विकास हो रहा है उसका प्रभाव उद्योगों में लगे कामगारों पर पड़ना स्वाभाविक है। अविकसित देशों में जहां औद्योगीकरण की प्रक्रिया अभी शैशवावस्थामें है,श्रमिकोंकी स्थिति और विश्वके विकसित देशों की श्रम समुदाय की स्थिति में आकाश पाताल का अन्तर है। अतः एक दूसरे का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। जहां तक भारत का सवाल है वहां स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं। एक प्रकार से हम अधकचरी स्थिति से गुजर रहे हैं। पाक-राजनीति का दुष्चक्र, औद्योगिक ढांचों के प्रति निश्चित लक्ष्य का न होना, उद्योग जगत में असमानता की स्थिति और कामगारों की मौजूदा हालत के कारण हम यह नहीं कह सकते कि भारत औद्योगिक स्वावलम्बन के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करेगा। यह तो मानी हुई बात है कि किसी भी देश का विकास वहां के कृषि और उद्योगों के विकास पर निर्भर करता है। अपने देश में दोनों ही क्षेत्रों में विपुल सम्भावनाएं हैं परन्तु आज इन दोनों ही क्षेत्रों में जो किसान या श्रमिक कार्यरत है, वह आर्थिक दृष्टि से इतना विपन्न कि उसके लिए देश का विकास कोई महत्वपूर्ण मानी नहीं रखता। निश्चय ही ऐसी स्थिति भयावह है। हमने अभी तक यह मूल्यांकन करने का प्रयत्न नहीं किया कि ऐसी स्थिति क्यों हैं और यह कैसे निबटाई जा सकती है?

श्रमिकों की भूमिका

आज देश में दो तरह के उत्पादन की आवश्यकता है, कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन। आज जो समस्याएं बेरोजगारी और बढ़ती हुइ मंहगाई की हैं, वे जहां नैतिक विकास से हल हो सकती हैं वहां उत्पादन में क्रान्ति लाने से भी। कृषि मूल्य आयोग के अनुसार संसार के सभी देशों की अपेक्षा खाद्यान्नों की सर्वाधिक मंहगाई भारत में है। हरित क्रान्ति के बावजूद और साधनों में उल्लेखनीय वृद्धि होने पर भी उनके मूल्यों में ह्रास नहीं हो रहा है। एक तरफ खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं की बढ़ती मंहगाई और दूसरी तरफ नैतिकता का ह्रास। श्रमिक हो या किसान, देश की प्रगति को इस तराजू पर तोलता है कि वह आर्थिक रूप से कितना सम्पन्न हो पाया है। चाहे हरित क्रान्ति हो चाहे औद्योगिक क्रान्ति यदि जनता को किसी प्रकार की जरा भी मुक्ति नहीं मिलती तो उसकी विपन्नता देश की विपन्नता है।

जब भी कहीं श्रमिक की बात उठती है तो साथ ही औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने, मानव सम्बन्धोंको सुदृढ़ बनाने और औद्योगिक शान्ति बनाए रखने का सवाल राष्ट्र के जीवन मरण का अहम सवाल बनकर उभरता है। श्रमिक और संगठनों का आह्वान फिर बड़े जोरों से किया जाता है किन्तु आर्थिक विपन्नता की बात दूर कहीं अंधेरे में खो जाती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए तो सबसे आवश्यक है कि हम विशेष सुविधाएं दें और कल्याणकारी कार्यों में विशेष रुचि लें, क्योंकि श्रमिक की कार्यकुशलता और लगन ही एक ऐसा सहारा है जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। श्रमकल्याण नियोजकों द्वारा कुछ श्रम कल्याण अधिकारी रखकर या जन सम्पर्क विभाग खोलकर उसके द्वारा कुछ छुटपुट योजनाएं चलाकर ही पूरा नहीं हो जाता। उत्पादन के क्षेत्र में श्रमिक की भूमिका के सन्दर्भ में अनुसन्धान समिति का यह कथन अपना ठोस मानी रखता है कि भारतीय श्रमिक की कार्यकुशलता के बारे में आशंकाएं निराधार है। यदि हम अपने श्रमिकों को वैसी कार्य करने की दशाएं, मजदूरी, उचित व्यवस्था, मशीनें और यन्त्र आदि प्रदान करें जो दूसरे देशों में श्रमिकों को प्राप्त हैं तो भारतीय श्रमिक की कार्य कुशलता भी अन्य देशों के श्रमिकों से कम न होगी। यही नहीं वरन् जिस कार्य में भी यान्त्रिक सामान और संगठन की आवश्यकता नहीं होती वहां भारतीय श्रमिक ने दूसरे देशों के अपने साथियों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशलता का परिचय दिया है।

जन सम्पर्क एवं श्रमकल्याण इसी सन्दर्भ में अपना विशेष महत्व रखते हैं। इसके लिए जहां एक तरफ सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने की आवश्यकता है वहां निजी क्षेत्रों में इस ओर प्रगति करने की आवश्यकता है। कुछ नियमों और अधिनियमों के तहत अगर नियोजक श्रम कल्याण पर ध्यान देता है तो यह ऐच्छिक श्रम कल्याण की ओर जाना नहीं एक मजबूरी है। आज भी कितने ही बड़े नियोजक मौजूद हैं जो अभी तक श्रमिकों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने को आगे नहीं आए लेकिन श्रमिकों की कार्यकुशलता, उत्पादन और देश के प्रति उनकी उदासीनता का रोना नहीं भूलते।

हाल ही में ट्रेड यूनियनों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री का उद्‌बोधन जहां श्रमिकों को अपनी अहं भूमिका निभाने की सलाह देता है, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधित्व को सचेत करता है वहां सरकारी

और गैर सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने की तरफ भी इशारा करता है। 1965 में 65 लाख मानव दिनों की हानि हुई थी किन्तु 1970 में 1 करोड़ 90 लाख मानव दिनों की हानि हुई थी। हो सकता है कि इसके कई कारण हों किन्तु इस बात की भी अधिक सम्भावना की जा सकती है कि इस सबके पीछे श्रमिकों की दयनीय स्थिति, बढ़ती मंहगाई और बढ़ती विषमता का कारण रहा है। उत्पादन वृद्धि जहां राष्ट्र के हित में है वहां सबसे बड़ा लाभ उत्पादकों के लिए भी है, किन्तु उत्पादन वृद्धि की बात सोचने के साथ साथ श्रम कल्याण के प्रति सोचना अहं सवाल है।

मूल आवश्यकता

विकासोन्सुख देश के सन्दर्भ में श्रमिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां नियोजक एवं सरकार को उनकी दशाओं में सुधार लाना है वहां श्रमिकों को भी अपने दायित्व एवं अपनी मुख्य भूमिका के प्रति जागरूक रहना है। दलगत राजनीति के युग में श्रम संगठन, जो मुख्यतः श्रम कल्याण की नींव पर उभरते हैं, हो सकता है राजनीति की नींव पर खड़े किए गए हों। श्रमिक को इस आवश्यकता के प्रति भी सचेत रहना है कि उनकी भूमिका कहीं गलत जगह में गलत तरीके से न निभाई जाए, राष्ट्रहित और उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य को चोट न पहुंचे। जहां तक हो सके समस्याएं शान्तिपूर्वक बिना किसी हानि के दूर हो जाएं। विकासोन्मुख देश की प्रगति के प्रथम चरण में समस्याएं आ खड़ी होती हैं। इतिहास साक्षी है कि हर प्रगतिशील देश को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जर्मनी और जापान की प्रगति की भव्य इमारत की नींव के पत्थर आज भी यह कहानी कहते हैं। हां, यह अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं जिनके अन्तर्गत कोई देश जल्दी प्रगति कर जाता है और किसी को समय लगता है। अपनी परिस्थितियां देखते हुए सुखद भविष्य के सपनों के लिए हमें कुछ त्याग भी करना होगा। औद्योगिक क्रान्ति अभी अपनी शैशवावस्था में ही है। अधिकाधिक उत्पादन से ही देश के हाथ मजबूत हो सकते हैं। यह तभी सम्भव है जबकि श्रमिक औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं को दृष्टिगत करके अपनी समस्याओं का मूल्यांकन करें। प्रगति के बढ़ते चरणों को बल मिले ताकि ये चरण और तेज गति से अपनी आत्मनिर्भरता की मंजिल की ओर बढ़े चलें। 'आत्मनिर्भरता' की सफलता ही सब समस्याओं का निदान होगा।

युवा शक्ति के उपयोग से गांव का कायापलट.....[पृष्ठ 11 का शेषांश]

गए हैं कि देश की राजनैतिक परिस्थितियों को समझ सकें। इससे चुनावों में जात, बिरादरी, शराब, धन का जो अनुचित उपयोग होता था वह बन्द हो गया है बैठक का यह भाग सचमुच रोचक होता है। जब कांग्रेस दो भागों में विभक्त हुई तो बैठक में इस पर बड़ी गर्मागर्म चर्चा हुई और सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। परन्तु एक सदस्य ने पुस्तकालय में पट्टाभि सीतारामैया के कांग्रेस के इतिहास की मांग की ताकि उसे पढ़कर वह अपना मत स्थिर कर सके। वह सदस्य केवल दसवीं पास था। एक बार भारतीय जनसंघ व सी० पी० आई० की आर्थिक नीतियों को लेकर घंटे बहस होती रही जबकि बैठक के इस भाग का समय केवल एक घंटा है। लिखने का तात्पर्य यह है कि परिषद की कार्यवाही से लोगों में काफी चेतना आई है।

परिषद के एक निर्णय की ग्राम में व पड़ोसी ग्रामों में अत्यन्त सराहना हुई। परिषद के चार सदस्य एम० ए० पास थे। एक ने हिन्दी संस्कृत दोनों में एम० ए० किया था। दूसरों ने भी अन्य विषयों में। एक ने तो शायद गणित में किया था। ये सभी गांव में घर वालों के साथ खेती ही करते थे। परिषद ने निर्णय किया कि स्कूल के आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने के लिए बिना शुल्क लिए एक एक घंटे की कक्षाएं प्रारम्भ की जाएं। दूसरे जो युवक दसवीं पास करके ग्राम में ही घर का काम आदि करते थे उनके लिए पंजाब विश्वविद्यालय की प्रभाकर, ज्ञानी, व प्राज्ञ की कक्षाएं खोली जाएं। इन क्लासों में आने के लिए परिषद की सदस्यता अनिवार्य नहीं थी। हमारी यह योजना अत्यन्त सफलतापूर्वक चल रही है।

अभी मई मास में परिषद की ओर से पब्लिक हाई स्कूल के छठी, सातवीं, व आठवीं के विद्यार्थियों को पंजाबी व संस्कृत की पुस्तकें मुफ्त बांटी गईं। परिषद द्वारा किए गए इन कार्यों से युवकों में जहां एक ओर रचनात्मक कार्यों की ओर रुचि बढ़ी वहां दूसरी ओर युवकों का जो समय व्यर्थ ही लड़ने झगड़ने व गप्पें हांकने में बरबाद हो जाता था उसका राष्ट्रहित के लिए सदुपयोग होने लगा है। ग्राम ग्राम में इस प्रकार के संगठन ग्रामवासियों की ओर से स्थापित किए जा सकते हैं। इसके लिए शासन की ओर देखना व्यर्थ ही नहीं अनुचित भी होगा। हां, योग्य दिशा निदेश के लिए ग्रामसेवक से सम्पर्क अवश्य रखना चाहिए। पंचायत समितियों की ओर से भी कुछ साहित्य इस प्रकार के संगठनों को निःशुल्क दिया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी से मिल लेना भी उचित रहता है। ग्रामों की युवा शक्ति को इस प्रकार सुसंस्कृत करके राष्ट्रहित की ओर लगाया जा सकता है।

लघु कृषक विकास अभिकरण प्रगति के पथ पर

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—(1) अगले दशक में प्रति वर्ष पांच प्रतिशत की दर से उत्पादन बढ़ाना तथा (2) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों को, जिनमें छोटे कृषक व लघुतम कृषक भी शामिल हैं, विकास में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अर्थात् उत्पादन वृद्धि के साथ साथ सन्तुलित विकास को भी बराबर ध्यान में रखा गया है।

ऐसा कहा जाता है और यह बहुत कुछ अंश तक सही भी है कि कृषि क्रान्ति का लाभ सभी कृषकों को समान रूप से नहीं मिल रहा है। छोटे कृषक या तो उससे वंचित रह गए हैं या उनके पास आवश्यक सहायता नहीं पहुंच पाती है। देश में कुल कृषि जोत की 62 प्रतिशत जोतें ऐसी हैं जो 2 हैक्टर से भी कम की हैं। यदि उत्पादन वृद्धि करना है और ग्रामीण विषमता को मिटाना है तो कृषि क्रान्ति को इन छोटे छोटे कृषकों, लघुतम कृषकों तथा कृषि मजदूरों तक भी पहुंचाना होगा। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने यह सुझाव दिया था कि लघु कृषक विकास एजेन्सियों के रूप में देश भर में आजमाइशी तौर पर परियोजनाएं लागू की जाएं। प्रारम्भ में तो इन्हें चुने हुए जिलों में स्थापित किया जाए तथा बाद में अन्य क्षेत्रों में भी। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 46 लघु कृषक विकास एजेन्सियों की स्थापना करने तथा 41 लघुतम कृषक तथा कृषि मजदूर सम्बन्धी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का निश्चय किया है। लघु कृषक विकास एजेन्सी का प्रमुख उद्देश्य छोटे छोटे कृषकों के विकास के साधन जुटाना तथा आवश्यक सहायता तथा सुविधा उपलब्ध करने हेतु एक अभिकरण के रूप में कार्य करना है। इसी प्रकार लघुतम कृषक तथा कृषि मजदूर परियोजना के अन्तर्गत लघुतम कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों को विकास की विभिन्न सुविधा व सहायता प्रदान की जाती है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में लघु कृषक विकास एजेन्सी के कार्यों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार हैं—

1. छोटे छोटे कृषकों का पता लगाना।
2. उनकी आर्थिक दशा तथा सम्बन्धित क्षेत्र में विद्यमान कृषि व्यवस्था की जांच करना।
3. छोटे छोटे कृषकों की विशिष्ट आवश्यकताओं का अध्ययन करना।
4. सिंचाई, भूमि सुधार, कृषि प्रणाली, फसल योजना, दुग्ध शाला, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि परियोजनाओं को चालू करने की सम्भावनाओं का अध्ययन करना तथा इन्हें कार्यान्वित करना।
5. रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीटाणुनाशक औषधि इत्यादि साधनों को उपलब्ध कराना एवं कुंओं के निर्माण, पम्पसैट लगाने इत्यादि के लिए साख सुविधाएं दिलाना।
6. कृषि के उन्नत यन्त्र व उपकरण भाड़े पर कृषकों को दिलाना।
7. भण्डारण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना।
8. कृषि जन्य पदार्थों के विपणन का विकास करना।
9. प्राथमिक सहकारी समितियों, जिला सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों आदि को सहयोग देना तथा आवश्यकता पड़ने पर छोटे कृषकों को उनका ऋण भार कम करने हेतु आर्थिक सहायता देना।
10. सहकारिता के क्षेत्र में छोटे कृषकों की सदस्यता को प्रोत्साहन देने व उसे कायम रखने में सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी आदि प्रदान करके सहायता देना।
11. सहकारी समितियों व बैंकों की प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता करना एवं उनके निरीक्षक वर्ग के कार्य में मदद करना।

बालकृष्ण कुमावन

मूल्यांकन

चतुर्थ योजना की अवधि में देश के विभिन्न राज्यों में कुछ चुने हुए जिलों में 46 लघु कृषक विकास अभिकरणों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिन पर 67.50 करोड़ रु० की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। ये सारी परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इनमें से 45 अभिकरणों का पंजीयन हो चुका है। इसी प्रकार लघुतम कृषक एवं खेतिहर मजदूरों के विकास के लिए चतुर्थ योजना काल में 47.50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऐसी कुल 41 परियोजनाओं को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 33 परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं।

अगस्त 1971 तक उपरोक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत 562 लाख रुपए अल्पकालीन, 67 लाख रुपए मध्यकालीन, तथा 192 लाख रुपए दीर्घकालीन साख के रूप में वितरित किए जा चुके हैं। लगभग 33 लाख रुपए से अधिक की राशि जोखिम कोष अंशदान के रूप में व्यय की जा चुकी है, 8 लाख रुपए से

अधिक राशि सहायता के रूप में दी जा चुकी है, 5 लाख रुपए की सहायता कर्मचारी वर्ग के लिए दी जा चुकी है तथा 23 लाख रुपए सहकारी क्षेत्र की अंश पूंजी के रूप में सहायता स्वरूप प्रदान किए जा चुके हैं। लघु कृषक विकास एजेन्सियों ने अभी तक विभिन्न स्थानों पर 9 लाख से अधिक छोटे कृषकों की सूची तैयार कर ली है तथा 3 लाख लघुतम कृषक और खेतिहर मजदूरों का पता लगाया जा चुका है। 2 लाख छोटे कृषकों तथा 27 हजार लघुतम कृषकों और खेतिहर मजदूरों को सहकारी क्षेत्र में लाने का कार्य पूरा हो चुका है। शेष के लिए प्रयत्न जारी हैं।

धन की सुविधा

कृषि पुनर्वित्त निगम अपनी सहायता देने के तरीके में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहा है। अभी तक सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए ही विशेष रूप से वित्त की सुविधा निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। किन्तु निगम ने अब यह निर्णय लिया है कि बारानी खेती को प्रोत्साहन देने वाली परियोजनाओं के लिए भी वह वित्त की सुविधा देगा। लघु कृषक विकास एजेन्सियों द्वारा चालू की गई परियोजनाओं के लिए तो निगम ने 100 प्रतिशत वित्त की सुविधा देने का निर्णय ले लिया है। यह सुविधा जून 1972 तक उपलब्ध की जाएगी।

औद्योगिक परियोजनाएं

छोटे कृषकों, लघुतम कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की दिशा में इस वर्ष से "ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं" चालू की जा रही हैं। ऐसी 50 नई परियोजनाओं को लागू करने का प्रारम्भिक कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इनका क्रियान्वयन पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से होने लगेगा। ऐसा निश्चय किया गया है कि सारा देश 25 वर्ष में इस प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत आ जाए। 50 नई योजनाएं प्रत्येक भावी पंचवर्षीय योजना में चलाने का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष 5 ऐसी परियोजनाएं चालू हो रही हैं।

सुझाव

लघु कृषक, लघुतम कृषक तथा खेतिहर मजदूरों की समस्या वास्तव में ध्यान देने योग्य है और इनका विकास किए बिना हमारे आर्थिक नियोजन का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। "नीचे से नियोजन" तथा "सन्तुलित विकास" हमारी आर्थिक बिकास की योजनाओं के अपरिहार्य अंग हैं। लघु कृषक विकास एजेन्सी तथा लघुतम कृषक व कृषि श्रमिक के विकास की परियोजनाएं वास्तव में सही दिशा में सही कदम हैं। इस प्रकार की योजनाएं चुने हुए क्षेत्रों में ही नहीं वरन् देश के प्रत्येक जिले में लागू की जानी चाहिए। केवल 45 परियोजनाएं ही पर्याप्त नहीं होंगी। देश के सभी राज्यों में जिला स्तर पर ऐसी एजेन्सियों की स्थापना अनिवार्य बना देनी चाहिए। देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी सर्वोच्च संस्था (जो स्वशासित निगम के स्वरूप में हो सकती है) का गठन किया जाना चाहिए जिसका दायित्व देश में लघु कृषक वर्ग व कृषि मजदूरों का विकास करना हो। इसी संस्था के निर्देशन में उपरोक्त एजेन्सियां तथा अन्य संस्थाएं कार्य करें। पांचवीं योजना में तथा भावी विकास की योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के जो कार्यक्रम बनाए जाएं उनमें छोटे छोटे कृषक एवं मजदूर वर्ग के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रमों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समय समय पर इन एजेन्सियों के कार्यकलापों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। इन एजेन्सियों को छोटे छोटे कृषकों तथा कृषि मजदूरों के प्रतिनिधियों की समय समय पर बैठक बुलाकर उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए तथा उन्हें भावी कार्यक्रमों से अवगत कराना चाहिए। ऐसा करने से जागरूकता का वातावरण निर्मित हो सकता है तथा सहकारी प्रयत्नों में उनका सक्रिय सहयोग भी मिल सकता है। ★

हिन्दी भाषा और विश्व एकता

बनवारीलाल ऊमरवैश्य

वैदिक ऊषा की कनकाभ किरणें सम्पूर्ण भूमण्डल में फैली हुई थीं। जम्बूद्वीप-भरत खण्ड की आर्यभूमि में ऋषियों ने कामना व्यक्त की थी—मधुवाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वौषधिः ॥ ऋग्वेद ॥

विश्वकल्याण और पारम्परिक एकता के लिए भारतीय ऋषियों ने एक भाषा का निर्माण किया था—संस्कृत। संस्कृत वैदिकी ऊषा की एक पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित सुनहली छाया है। उसका पालन पोषण वैदिकी ऊषा ने किया था। वह विश्वभाषा की जननी रही है। लैटिन,फ्रेंच, चाइना, ईरानी, अरबी प्रभृति भाषाएं संस्कृत की पुत्रियां हैं। आज वह अपनी माता से इतनी भिन्न हो गई हैं कि जल्दी पहचान में नहीं आ रही हैं फिर भी वह अपनी माता का अस्तित्व रखती हैं। हम समस्त विश्व के वासी एक थे। हमारी भाषा एक थी। हमारी भावात्मक एकता सुदृढ़ थी। हिमगिरि की भांति अडिग और हिन्द महासागर की तरह गम्भीर थी। हमारी धर्म संस्कृति भी एक थी। क्या "जेन्दावेस्ता" में ऋग्वेद की छाया नहीं है, "क्या होमर के महाकाव्य" "ईलियट" और "ओडिसी" में रामायण और महाभारत का प्रतिबिम्ब नहीं है, बाइबिल में गीता की परछाई नहीं है, क्या "प्रसाद" की कामायनी और मिल्टन कृत "पैराडाइज लास्ट" में कुछ भी साम्य नहीं है? विश्व जन एक सूत्र में बधे हुए थे और वे विश्वधर्म के अनुयायी थे।

वैदिकयुग के उत्तरकाल में सुर भारती संस्कृत सुन्दरी ने वन्यशकुन्तला की भांति अपनी वेणियों में पुष्पों का शृंगार किया था, जिसकी मनोरम सुगन्ध से मुग्ध होकर वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, श्री हर्ष प्रभृति विभूतियों ने संस्कृत काव्य कुसुम के माध्यम से भारत भारती की शोभा बढ़ाई थी। उसके उत्तरार्द्ध में संस्कृत ने एक पुत्री का प्रसव किया जो थी प्राकृत और जिसका उल्लेख पतंजलि के व्याकरण में है। प्राकृत ने बड़ी होने पर पाली को जन्म दिया जिसकी मधुर भाषा में तथागत भगवान ने उपदेश दिया था। पाली की दुहिता अपभ्रंश और इसी अपभ्रंश की पुत्री हिन्दी जन्मी। नवयुवती होने पर हिन्दी ने अपना अलंकार और शृंगार अपनी पूर्वजाओं की शृंगार पेटिका में रखे हुए संस्कृतनिष्ठ शब्दादारा किया। आज हिन्दी समृद्धशालिनी हो गई है। विश्व के कोने-कोने में इसका स्वागत हो रहा है।

हिमालय से कन्याकुमारी तक, बालुका प्रदेश राजस्थान से लेकर नारिकेल द्रुम चित्रित बंगाल तक हिन्दी के गीत गाए जा रहे हैं। दक्षिण भारत के प्रांगण में हिन्दी के कई लेखक कवि, एवं गीतकार पल्लवित एवं पुष्पित हो रहे हैं। यूरोप के लोगों ने हिन्दी के चरणों में लिलीफूल और टेम्स नदी का जल लेकर अर्चना की है। फ्रेडरिक पिन्काट को हिन्दी कभी नहीं भूल सकती। रूस की कुछ विदूषियां "सूर" "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र" आदि पर शोध प्रबन्ध हिन्दी में लिख रही हैं। मुहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, रहीम, रसखान, सुन्दरी ताज आदि ने अपने गीत और कविता हिन्दी में की हैं। हिन्दी भाषा के माध्यम से दिनोंदिन हमारी विश्व एकता सुदृढ़ होती जाएगी। संसार की सभी भाषाओं में संस्कृतनिष्ठ हिन्दी की झांकी पाएंगे। लैटिन में ददामें, हिन्दी में देना और संस्कृति में ददाति एक ही है,। अंग्रेजी में ट्री और हिन्दी में तरु एक ही है। मलयालम, कन्नड़, तेलगू, तमिल, बंगला आदि तो हिन्दी की सगी बहनें हैं। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, बंगला में कृत्तिवास रामायण और तमिल में "कबन्ध रामायण" एक ही हैं।

आज हम हिन्दी के द्वारा वोल्गा से गंगा, टेम्स से यमुना का मिलन कराएंगे। वाल्मीकि को ग्रीस में पहुंचा सकते हैं। इटली, जर्मनी में कालीदास पहुंच चुके हैं और अब "तुलसी दास" जाने वाले हैं। जब हिन्दी पूर्णरूप से विकसित हो जाएगी तब सारे संसार में "मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति" ऋचागान गाए जाने लगेंगे। वैदिक ऊषा पुनः प्राची के झरोखे से मुस्कराने लग जाएगी, खगकुल कलरव करेंगे। राजकमल ऊषा की सिन्दूरी किरणों का पान करेंगे। ●

सामुदायिक विकास और सहकारिता के बारे में चित्र प्रतियोगिता

चित्र कथन संचार का एक जोरदार माध्यम है। भारत जैसे देश में, जहां बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, जन संचार में दृश्य माध्यमों का महत्व और भी अधिक है। खण्ड सूचना केन्द्र पर लगा एक चित्र कई पुस्तकों से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। अतः शौकिया तथा पेशेवर चित्रकारों को ग्रामीण जीवन के चित्र खींचने की ओर आकृष्ट करने की जरूरत है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर कृषि मन्त्रालय के सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग ने हाल में ही तीसरी अखिल भारतीय चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसके लिए निम्नलिखित सात विषयों पर चित्र मांगे गए थे :—1 सामुदायिक विकास सप्ताह, 2. सहकारिता सप्ताह, 3.महिला पंचायतों की गतिविधियां, 4. युवक मण्डल और महिला मण्डल, 5. स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के सहकारी भण्डार, 6. कृषि सेवा केन्द्र ; और 7. सहकारी चीनी मिलें।

प्रतियोगिता के लिए आए चित्रों में प्रायः सभी विषयों को लिया गया था और इनमें विशेष कर मध्यप्रदेश, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इन पांच राज्यों में हुए कार्यों का चित्रण था।

मध्यप्रदेश राज्य के नवापारा ग्राम में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम से सम्बन्धित तीन चित्रों को जो श्री सी०एस०राव द्वारा खींचे गए थे, प्रथम पुरस्कार (400 रु०) के लिए चुना गया। श्री बी० पी० तालुकदार के चित्र को, जिसमें असम के एक गांव की महिला समिति के अधीन व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम की गतिविधियों का चित्रण था, 300 रु० के द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया तथा श्रीमती एन० वासन्ती के तमिलनाडु के एक गांव में सिलाई कक्षा के चित्र को तृतीय पुरस्कार (200 रु०) के लिए चुना गया। वसन्त फोटो स्टूडियो के महाराष्ट्र में सांगली के सहकारी चीनी मिल के चित्र को 50 रु० का सांत्वना पुरस्कार मिलेगा।

ये चित्र उन तीनों चित्रों में से हैं जिन्हें प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें मध्यप्रदेश के नवतारा गांव में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधियों का चित्रण है।

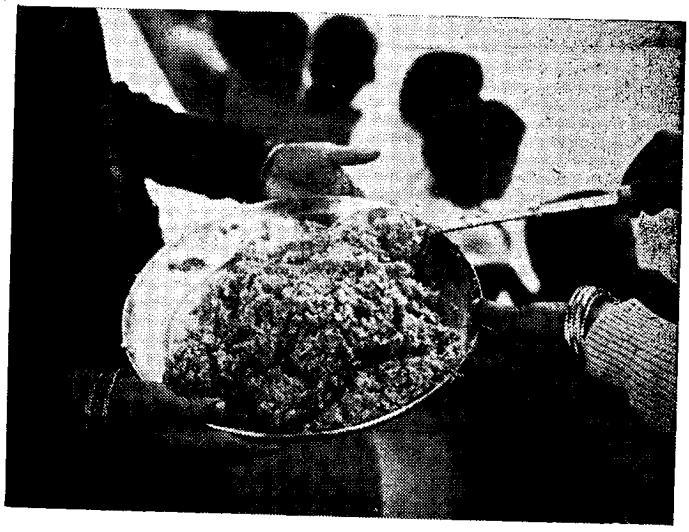

ये पुरस्कार और प्रमाणपत्र नई दिल्ली में एक समारोह में वितरित किए जाएंगे। उस अवसर पर एक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और चुने हुए चित्रों का एक एलबम प्रकाशित किया जाएगा।

महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिल सांगली का एक दृश्य। इस चित्र को सान्त्वना पुरस्कार के लिए चुना गया है।

दाहिनी ओर असम में ग्रामीण महिला समिति की गतिविधियों से सम्बन्धित तीन चित्र, जिन्हें द्वितीय पुरस्कार के लिए चना गया है।

तमिलनाडु के एक गांव में दर्जीगीरी की कक्षा का एक चित्र। इस चित्र को तृतीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। नीचे दिए चित्र को प्रथम पुरस्कार मिलेगा। यह चित्र व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम से सम्बन्धित है और प्रथम पुरस्कार के लिए श्री राव के चुने गए चित्रों में से तीसरा चित्र है।

कोचीन का परिवार नियोजन शिविर

केरल में पिछले दिनों एक चमत्कार हुआ। वास्तव में यह 31 दिन तक चलने वाला चमत्कार था। एर्णाकुलम जिले के कोचीन नगर में सभी धर्मों और सभी वर्गों के 62,913 पुरुषों ने अपने परम्परागत भय और पूर्वाग्रहों को तिलांजलि देकर, अपने परिवार के हित के लिए नसबन्दी आपरेशन करवाया। एक महीने की अवधि में 63 हजार लोगों का नसबन्दी आपरेशन कराना विश्व में एक रिकार्ड है।

अब्दुल मजीद ने एक बार अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर व्यस्त भाव से बीड़ी बनाने में जुट गया। शाम तक दो रुपये की मजदूरी तो उसे कर ही लेनी चाहिए। छोटा लड़का अभी चार महीने का भी नहीं है, पर मां को अब दूध नहीं उतरता। कम से कम पाव दूध तो बच्चे के लिए चाहिए ही। दो लड़के और भी हैं – एक पांच साल का, दूसरा चार साल का। काम में हाथ बंटा सकें, इस लायक वे अभी नहीं हैं। बीवी को घर के कामकाज और बच्चों से फुरसत नहीं है। फिर, वह बीमार रहती है। उम्र ही क्या है उसकी 24 वर्ष, पर सामर्थ्य जैसे निचुड़ गई है उसकी।

क्षण भर रुककर अब्दुल मजीद ने झोंपड़ी से बाहर झांक लिया। आठ-दस पेड़ हैं नारियल के। कोई एक एकड़ भूमि पर वह आसामी की तरह रहता है। नारियल के पेड़ इसी भूखण्ड पर झोंपड़ी के आगे हैं। पीछे उसने कुछ साग-सब्जी उगा रखी है। धान उगाने लायक जमीन नहीं है। मौसम पर नारियल उतरेंगे तो 40-50 रु० महीना उसे मिल जाएगा। जैसे भी हो, इस बार आठ-दस रुपये निकालकर पत्नी के लिए धोती तो जुटानी ही होगी।

रह-रहकर अब्दुल मजीद का ध्यान बेचारी बीवी पर ही अटक कर रह जाता। शादी के बाद तीन वर्ष से भी कम समय में दो बार जब उसकी गोद भरी थी तभी वह चौंक उठा था। इसी तरह चलता रहा तो वह कहीं का न रहेगा। उसने बीवी से बात भी की थी। वह जो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र से सरस्वती अम्मा आती हैं, टीके लगाने, उनसे ही कुछ पूछना। क्या कुछ हो नहीं सकता? खुदा ने दो बेटे दिए हैं, बहुत हैं। इन्हीं को पाल पोस लें तो समझो बहुत किया।

अगली बार जब सरस्वती अम्मा का आना हुआ तो सलमा ने झिझकते हुए बात छेड़ी। 'हां, कुछ हो क्यों नहीं सकता। मनुष्य का भाग्य उसकी अपनी मुट्ठी में रहता है। मेरे साथ चिकित्सा केन्द्र चलना। उपाय हो जाएगा।'

सलमा के लूप स्वीकार करने से मियां-बीवी को पहली बार राहत महसूस हुई थी। दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। तीसरे के आने का कोई भय नहीं था। दुर्भाग्य से लूप सलमा को माफिक नहीं आया। तब डाक्टर ने ही सलाह दी, 'निकलवा दो'। वह तो ठीक हुआ, पर अब तीसरा बेटा सलमा की गोद में था और अब्दुल मजीद चिन्तित था कि उसके लिए पाव लिटर दूध का इन्तजाम कैसे हो?

जो समस्या एर्णाकुलम जिले के उत्तर परूर ताल्लुके के एजक्करी गांव में अब्दुल मजीद की थी, वही समस्या केरल, बल्कि सारे देश में लाखों करोड़ों और लोगों की भी थी। बढ़ते परिवार का गुजर-बसर कैसे हो? पीढ़ी-दर-पीढ़ी अभाव, निर्धनता और दीनता के दलदल में फंसाए रखने वाले इस

दुष्चक्र से मुक्ति कैसे मिले? आसामी अथवा जमींदार, देहाती अथवा शहरी, अनपढ़ अथवा विद्वान्, सभी बढ़ते परिवारों और घटते साधनों के व्याल-जाल में फंसे हुए थे।

विडम्बना यह थी कि जो लोग जाल में छटपटा रहे थे, उन्होंने स्वयं उसे रचा था। निकलने का उपाय भी था पर व्यक्तिगत और सामूहिक अज्ञान, भय, आर्थिक पिछड़ेपन, अशिक्षा और पूर्वाग्रहों ने उन्हें जड़ बना रखा था।

फिर एक दिन सरस्वती अम्मा अब्दुल मजीद के यहां पहुंची। सलमा से बात की। पति-पत्नी में परामर्श हुआ। 'तीन बेटे काफी हैं, मैं नसबन्दी करा लेता हूं,' मजीद मान गया। बीस मील दूर, कोचीन में शिविर लग रहा था, वहीं चला जाएगा वह।

मजीद को पता नहीं था, पर वास्तव में उसने जो निर्णय किया था, केरल के 63,000 और लोगों ने भी उसे दोहराया था। सभी धर्मों, जातियों और आर्थिक समुदायों के इन लोगों में एक समान और नई आस्था जन्मी थी—परिवार छोटा रहना चाहिए। केवल छह वर्ष पूर्व जो सरकारी कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था, वही परिवार नियोजन प्रयास अब

एक जन-आन्दोलन और सामाजिक आदर्श बन गया था, और, इस मूल तथा क्रान्तिकारी परिवर्तन का जीता जागता नमूना था जुलाई में कोचीन में एक महीने का नसबन्दी शिविर।

नाम (मलयालम) उसे दिया गया था—'कुडुम्ब संविधान महोत्सव' का। वास्तव में यह मेला ही था, पारिवारिक सुख को नया आयाम देने वाली नई सांस्कृतिक धारा का जीवन्त प्रतीक। पर यह धारा 39,000 वर्ग किलोमीटर में अटी केरल की 2.1 करोड़ जनता को किस हद तक प्रभावित कर चुकी थी, इसका पूरा आभास महोत्सव का आयोजन करने वाले एर्णाकुलम जिला-अधिकारियों को नहीं था।

यह ठीक है कि जिला विकास के लिए पिछले वर्ष अगस्त में हुई एक गोष्ठी में जो तीन लक्ष्य रखे गए थे उनमें परिवार नियोजन मुख्य था। यह भी ठीक है कि ध्येय के अनुसार यह निश्चय किया गया था कि अगले पांच वर्षों में जिले के सभी पात्र दम्पतियों को परिवार नियोजन का कोई न कोई उपाय अपनाने के लिए सहमत कर लिया जाए। यह भी ठीक है कि उसी वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में जब पहला बृहत् नसबन्दी शिविर लगाया गया था तब उसमें, एक महीने में, लगभग 15,000 पुरुषों ने आपरेशन करवाया था। परन्तु छह महीने बाद ही, इस वर्ष जुलाई में कोचीन के शिविर में 62,913 पुरुष अपने परम्परागत पूर्वाग्रहों और आशंकाओं को त्याग कर सामने आएंगे, इसका किसी को अनुमान नहीं था।

कोचीन शिविर का लक्ष्य रखा गया था—20,000 नसबन्दी आपरेशन। जिले के युवा कलैक्टर का विश्वास था कि जब तक परिवार नियोजन को जन आन्दोलन का रूप नहीं दिया जाएगा, वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। अतः आरम्भ से ही यह प्रयास किया गया कि समाज के सभी वर्गों के लोग, चाहे वे किसान हों या कारखाना-मजदूर, शहरी बाबू हों या मछियारे, इस शिविर को सफल बनाने में अपना योग दें।

जन सहयोग

शुरू में ही, शिविर के उद्घाटन से एक महीना पहले, सभी पंचायतों, सामुदायिक विकास खण्डों और जिलों में 501 जन-समितियां नियुक्त कर दी गई थीं जिन्हें अपने क्षेत्र में मचमुच घर-घर जाकर परिवार नियोजन का सन्देश पहुंचाना था। विशिष्ट जन-समुदायों जैसे मछियारे, हरिजन, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले और दफ्तरों और कारखानों में काम करने वाले लोगों में प्रचार के लिए अलग से समितियां नियुक्त की गई थीं। ट्रेड-यूनियनों, पेशेवर लोगों के संगठनों, सामाजिक सेवा करने वाली संस्थाओं और ऐसे ही अन्य संगठनों से भी आग्रह किया गया गया कि वे अपने प्रभाव-क्षेत्र के लिए अपनी समितियां नियुक्त करें जिससे समाज का कोई अंग अछूता न रह जाए।

इस सब के साथ ही एक जिला-व्यापी प्रचार अभियान शुरू किया गया जो केरल की अभ्यस्त जनता के लिए किसी चुनाव-अभियान से कम नहीं था। जिले के सभी पंचायत क्षेत्रों और नगरों में सार्वजनिक सभाएं हुईं, जुलूस निकाले गए, चप्पा-चप्पा जगह पोस्टरों से भर गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, मुनादियां हुईं, स्वागत द्वार बने। शिविर आरम्भ होने तक एर्णाकुलम जिले में शायद ही कोई बचा होगा जिसने इस बीच परिवार नियोजन और कोचीन शिविर की बात नहीं सुनी होगी।

शिविर की व्यवस्था

उधर, स्वयं शिविर के संगठन के लिए कोचीन का टाउन हाल सजा दिया गया था। टाउन हाल का सामने का विस्तृत अहाता एक बृहत् पंडाल बना दिया गया था। अन्दर टाउन हाल के सभाकक्ष में अलग-अलग खोलियों में 50 आपरेशन एक साथ करने की व्यवस्था थी। लगभग 100 सर्जन, उनके साथ काम करने वाली नर्सें और कर्मचारी पूरे राज्य से एकत्र कर लिए गए थे। आपरेशन से पहले डाक्टरी जांच, और आपरेशन के बाद आवश्यक दवाइयां, सभी का प्रबन्ध कर लिया गया था। यही नहीं, आपरेशन कराने वालों को काम-धन्धा छोड़कर आने के मुआवजे के रूप में नकदी के वितरण और यदि वे चाहें तो मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था कर दी गई थी।

शिविर की पूरी रचना इस प्रकार की गई थी कि आपरेशन के लिए आने वाले लोग एक बार रजिस्टर होने पर फिर सभी मंजिलों से सुविधापूर्वक गुजर जाएं। भारत सरकार, राज्य सरकार, अमरीकी सहायता समिति 'केयर' और अन्य संगठनों के सहयोग के फलस्वरूप नसबन्दी कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाने वाला मुआवजा भी काफी था—नकदी और सामान को मिलाकर कोई 100 रुपये के बराबर। जिले या जिले के बाहर दूर से आने वालों के लिए बस का टिकट देने की भी व्यवस्था थी। एक लाटरी भी रखी गई जिसमें पहला इनाम 10,000 रुपये का था।

पर, कोचीन के 31 दिन के शिविर में जो 63,000 लोग आए क्या वे लोभ-वश ही वहां आए थे? उत्तर में परूर के कुमारन ने कहा: नहीं। आपरेशन तो मुझे कराना ही था। पर, यदि पैसे की कुछ मदद मिलती है तो उसे लेने से मुझे इन्कार नहीं। यह व्यवहार की बात थी। यह केरल की उस जनता की बात थी जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक लोग पढ़े-लिखे हैं।

इन्हीं सामाजिक रूप से जाग्रत लोगों का पहला जत्था नाचता-गाता और परिवार-नियोजन में अपनी आस्था की सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा करता हुआ 1 जुलाई को 'कुडुम्ब संविधान महोत्सव' में भाग लेने कोचीन पहुंचा था। इनमें अब्दुल मजीद भी था, कुमारन भी और टी०जोजेफ भी, जिनकी औसत अवस्था 36.6 वर्ष थी।

बीड़ी बनाने वाला अब्दुल मजीद जब कोचीन से एजक्करी लौटा, तब उसकी दो इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं। सलमा के लिए वह एक धोती ले आया था और छोटे बच्चे के लिए 'अंग्रेजो' दूध का डिब्बा।

राष्ट्र सेवा का प्रबलतम सूत्र : निरक्षरता निवारण

भारत माता के अंचल में बसा एक छोटा सा गांव "ज्ञानपुरी"। नाम तो ज्ञानपुरी, कितना सुन्दर, कितना मोहक पर चरितार्थ होती थी उस पर "आंख का अन्धा नाम नयन सुख" वाली उक्ति। लगभग चार सौ की जनसंख्या का यह गांव। पर पढ़े-लिखे उनमें से उंगलियों पर गिने जा सकने वाले नागरिक। कृषि उनका प्रमुख धन्धा। रोटी और लंगोटी से अधिक उनकी दैनिक जीवन की महत्वाकांक्षा नहीं। जीवन और शिक्षा का भी कोई सम्बन्ध होता है, इस बात से भला उनका क्या वास्ता? वर्षों तक जागीरदार के पैरों तले कुचले गांव के नागरिक भला इन बातों को कैसे समझ सकते और सच कहा जाए तो उनके दिमाग को इतना मुक्त होने का अवसर कब और किसने दिया? भारत के स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ ही जागीरदारों की धौंस तो उन पर न रही पर वर्षों से दिगाग में घर किए बैठे अन्धविश्वास, भाग्यवादिता, छुआछूत, रूढ़िवादिता अर्थात् अज्ञान का अन्धेरा छा रहा था। तो ऐसा था यह भारत की आत्मा कहा जानेवाला एक गांव।

कहते हैं बारह वर्षों में तो घूरे के भी दिन फिरते हैं। ज्ञानपुरी के भी दिन फिरे। ग्राम पंचायत के प्रयत्नों से एक विद्यालय की स्थापना के साथ ज्ञानपुरी में ज्ञानदीप प्रज्वलित करने का एक सद्-प्रयत्न किया गया। दीपक जला तो प्रकाश की किरणें भी बिखरने लगीं। गांव की युवा पीढ़ी में पढ़े लिखे लोग मिलने लगे। शिक्षक दीपचन्द के पढ़ाए ज्ञानपुरी के लाल अब शहर के हाईस्कूल तथा कालेजों में भी पहुंचने लगे। परन्तु गांव की जनसंख्या का बहुमत, हमारे प्रजातन्त्र का आधार अब भी जहां का तहां था। शिक्षक दीपचन्द के हृदय में थी एक प्रबल इच्छा, ज्ञानपुरी से सम्पूर्ण निरक्षरता का निवारण कर गांव को सच्ची ज्ञानपुरी बनने की। बड़ा काम और नगण्य शक्ति। पूरा गांव और एक शिक्षक। एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस सचाई को समझता हुआ दीपचन्द अपनी ज्ञानपुरी के सम्पूर्ण साक्षरता की इच्छा को हृदय में दबाए हुए था।

संयोग की बात समझिए, एक दिन ज्ञानपुरी में किसी मन्त्री महोदय का दौरा हुआ। मन्त्री जी तो अपनी बात कहकर चले गए पर कुछ नवयुवकों के मन में हलचल मचा गए। यह हलचल एक क्षणिक आवेग बनकर रह जाती यदि दीपचन्द अवसर का लाभ नही उठाता। ये सभी नवयुवक ज्ञानपुरी के निवासी ही थे और शिक्षक दीपचन्द के शिष्य थे और ग्रीष्मावकाश बिताने आए हुए थे अपने गांव। उन्हीं में से एक युवक कहने

सुलेमान टाक

लगा—"काश ! मुझे भी कभी देश सेवा का अवसर मिले तो न जाने क्या-कर दिखाऊं।"

दूसरे ने कहा—"हां हां हम क्या कम हैं?"

तीसरे ने प्रश्न कर दिया—"भैया ! कैसा अवसर चाहते हो तुम?"

पहले युवक ने अपने मन की गांठ खोली—"कभी एम० पी० या छोटा-मोटा मन्त्री बन जाऊं तब देखना मेरा जौहर।"

नवयुवकों की बातों में दीपचन्द भी रुचि ले रहा था। बीच ही में बोल उठा—"बेटे ! तुम तो सेवा का अवसर नहीं, पद प्राप्त करना चाहते हो। दीपचन्द की दो टूक बात को सुनकर नवयुवक ठहाका मार कर हंस पड़े और पहला युवक कुछ सकपका गया। दो क्षण चुप रहकर बोला—"गुरुजी ! क्या फरमाया आपने?"

"बेटे। क्या नाम है तेरा" दीपचन्द बोला।

"प्रवीण" उत्तर मिला।

"ओह प्रवीण। हजारीभाई का बेटा" आत्मीयता दर्शाते हुए दीपचन्द ने कहा। "हां बेटा सेवा ही करना चाहते हो तो मन्त्री बनने की क्या जरूरत। सेवा के तो दैनिक जीवन में सैकड़ों अवसर हैं।"

"साधारण आदमी के सामने सेवा के क्या अवसर हैं, मास्टर जी?" एक नवयुवक बीच में ही प्रश्न कर बैठा।

अब शिक्षक दीपचन्द को अपनी बात जमाने का पूरा अवसर मिल गया। जब लोहा गरम हो तब चोट करो इस बात को वह अच्छी तरह जानता था। नवजवानों को सम्बोधित करते हुए उसने कहा—"ज्ञानपुरी के मेरे होनहार नौजवानो ! मैं आप लोगों को राष्ट्र या समाजसेवा का एक सरल प्रबलतम सूत्र पकड़ाना चाहता हूं।"

दीपचन्द के सेवा सूत्र को जानने के लिए युवक उत्सुक थे। उसने कहा "सुनो ! हमारे गांव की अबादी अब 600 हो गई है, इनमें से लगभग 200 प्रौढ़ पुरुष निरक्षर हैं, स्त्रियों और पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों को जोड़ दें तो बड़ी संख्या में गांव में निरक्षर लोग ही मिलेंगे।" शिक्षक दीपचन्द की बात को पूरी सुने बिना ही कालेज में पढ़ने वाला नवयुवक बोल पड़ा—"मास्टरजी इसमें आश्चर्य की क्या बात, हाल में हुई जनगणना से ज्ञात हुआ है कि भारत में साक्षरता लगभग 30 प्रतिशत है। फिर भला ज्ञानपुरी के लोग

निरक्षर हुए तो क्या हो गया ?'

"इसी निरक्षरता के निवारण में ही तो भारत की उन्नति का रहस्य छिपा हुआ है। जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक साक्षर नहीं होगा हमारा जनतन्त्र मजबूत नहीं हो सकता।"

"पर मास्टरजी, यह तो सरकार का काम है, सरकार कराए। संविधान समानता का अधिकार देता है तो फिर सरकार सबको क्यों नहीं पढ़ाती ?" उस नवयुवक ने फिर अपनी बात कही।

और कोई व्यक्ति होता तो नवयुवक की इस बात को सुनकर निराश हो जाता पर दीपचन्द तो जीवन के विशद अनुभवों की सजीव मूर्ति था, फिर शिक्षक तो नासमझ को भी समझाने की क्षमता रखता है। दीपचन्द मन्द मन्द मुस्कराहट के साथ बोला—"सच कहा, काम सरकार का है पर भैया ! अब स्वतन्त्र भारत में हमारी ही सरकार तो है। हम क्या सरकार से अलग हैं ? फिर जनता के सहयोग बिना भला सरकार कर ही क्या सकती है ? गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति हमारे ही भाई बहन हैं। भला ऐसा कौन होगा जो अपने भाई बहनों को निरक्षरता के कारण मूर्ख और गंवार कहलाना पसन्द करेगा ? बोलो प्रवीण। क्या तुम अपने निरक्षर पिता को गंवार कहलाना पसन्द करोगे ?"

"यह कैसे हो सकता है, गुरुजी।" प्रवीण ने तत्परता से उत्तर दिया। "तो फिर जो काम हम स्वयं चन्द दिनों में बिना राष्ट्र का अधिक पैसा व्यय कराए कर सकते हैं उसे क्यों न पूरा करके राष्ट्रसेवा के अनुपम अवसर का लाभ उठाएं ?" शिक्षक दीपचन्द के इन शब्दों को सुन युवक वर्ग बोला—"ऐसा काम तो हमें अवश्य करना चाहिए। हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी।"

युवकों को प्रोत्साहित करता हुआ दीपचन्द कहने लगा—"जवानो ! भारत की आशाओ ! जानते हो 'जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ' जो कर्म करता है वही फल भी पाता है। जानते हो करमू दादा को, सत्तर की उमर, अकेली जान, कोई आगे न पीछे फिर भी कड़ी धूप में हल की नोंक से भारत के भविष्य को लिखता जा रहा है, किसलिए ?"...कुछ रुककर अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला—"इस गांव के लिए, इस देश के लिए।" और फिर उसी उत्साह से बोलने लगा, "और वह मर्द अहमद चाचा और उनके एक जवान बेटे ने बस्ती में जल का संकट देख एक ही माह में कुआं खोदकर बस्ती को अर्पण कर दिया, मीठा दूध जैसा पानी। क्या तुम ग्रीष्मावकाश में अकर्मण्य होकर दिन बिता रहे लोग कुछ सेवा कार्य नहीं कर सकते ?"

दीपचन्द की बात को उत्सुकता से सुन रहे युवक एक साथ बोल पड़े—"क्यों नहीं गुरुजी, क्यों नहीं ?"

शिक्षक दीपचन्द के चेहरे पर चमक दौड़ गई। उसका मन खुशी से झूम उठा। ज्ञानपुरी को सच्ची ज्ञानपुरी बना देने का उसका स्वप्न अब साकार होता नजर आया। अब अपनी योजना को प्रस्तुत करने लगा "सुनो। गांव में लगभग तुम 35-40 विद्यार्थी हो और 10-15 अन्य साक्षर प्रौढ़ भी हैं, हम 50 पढ़े लिखे हैं। यदि एक पढ़ालिखा व्यक्ति एक महीने में चार निरक्षर प्रौढ़ों को पढ़ाए तो गांव के समस्त दो सौ प्रौढ़ एक माह में साक्षर हो जाएंगे और हर नवसाक्षार फिर अपनी पत्नी, पुत्री, बहन आदि को पढ़ाए तो गांव से निरक्षरता अपना काला मुंह कर जाएगी।"

दीपचन्द की बात सुनकर सभी नवयुवक खुशी से खिल उठे, जनसेवा की सरलतम किन्तु सुदृढ़ योजना को सुनकर प्रवीण बोला "गुरुजी ! सच ही आपने तो हमें राष्ट्र सेवा का सच्चा सूत्र पकड़ा दिया। ऐसे तो यदि भारत के सभी साक्षर निरक्षरों को पढ़ाने का संकल्प ले लें तो बिना सरकारी मदद के एक साक्षर तीन निरक्षरों को पढ़ाकर बड़ा काम कर सकता है और इस तरह समस्त भारत से निरक्षरता के अभिशाप को मिटाया जा सकता है।

"क्यों नहीं" कहकर दीपचन्द ने मुक्त कण्ठ से समर्थन किया और बोला—"आइए ! इस आदर्श पर सर्वप्रथम हम ही चलकर सच्ची समाज सेवा का एक आदर्श उपस्थित करें, अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम ?"

अब नवयुवक उत्साह से बोल उठे 'यस सर! राइट सर।"

भला नेक काम में देरी क्यों ? दीपचन्द ने ग्राम पंचायत की मदद से स्लेट, पेन्सिल और तेल की व्यवस्था की। पंचायत समिति से कुछ प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकों के सैट प्राप्त कर लिए और ग्रीष्मावकाश बिता रहे पच्चीस नवयुवकों को चौपाल पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने का काम सौंप दिया। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र उसकी देखरेख में प्रारम्भ हुआ। दीपचन्द गांव में घूम घूम कर घर बैठे हुए प्रौढ़ों को उठा उठा कर केन्द्र पर ले जाता। जो एक बार आ जाता था फिर स्वतः आने लग जाता। दीपचन्द की आंखों की रोशनी अब इस पचास की उम्र में मन्द पड़ गई थी पर उसे ज्ञानपुरी में एक नई ज्योति जगमगाती दीख रही थी। वह इस ज्योति को अपनी आंखों की ज्योति समझ कर प्रसन्न था। अब ज्ञानपुरी की चौपाल तो एक आदर्श चौपाल बन गई थी। अब वहां आप बीती जग बीती गप्पों के स्थान पर वर्णमाला का उच्चारण सुनाई देने लगा। चिलम, बीड़ी का दम लगाकर समय व्यतीत करते लोग स्लेटों पर पेन्सिल चलाते दीखने लगे।

देखते ही देखते कुछ ही दिनों में निरक्षर प्रौढ़ अक्षरों को पहिचानने लगे। पुस्तक के वाक्यों को पढ़ने लगे, पत्र लिखने और पढ़ने लगे। सारे गांव में साक्षरता की लहर उठ रही थी। पढ़ने वाले प्रौढ़ों में एक दूसरे से जल्द और ज्यादा सीखने की प्रतियोगिता हो रही थी। कुछ प्रौढ़ों ने तो जितना पढ़ा उतना अपनी अर्धांगनियों को भी सिखाया। इस तरह पुरुषों के साथ साथ कई स्त्रियां भी

साक्षर हो रही थीं, यों कहिए दीप से दीप जलता जा रहा था। एक माह के अन्दर अन्दर नवयुवकों ने गांव के समस्त लगभग दो सौ प्रौढ़ों को साक्षर कर दिया। साक्षर प्रौढ़ों के चेहरों पर अब पढ़े लिखे होने का गर्व झलकता था। शिक्षित नवयुवक अपने श्रम साध्य इस कार्य को देख फूले नहीं समाते थे।

चौपाल से अब परम्परागत रहते आए चिलम और हुक्का तो गायब हो गए थे। अब तो मिलते थे वहां पर दो तीन समाचार पत्र और पुस्तकों की एक आलमारी। ग्रामीण वहां बैठ कर अब देश-विदेश की खबरों का जायजा लेते, खेती बाड़ी की उन्नति की बातें पुस्तकों में ढूंढ़ते। रात में वहां दीपक जलता बड़ी देर तक। कई युवक बैठे पुस्तकें पढ़ते। दीपचन्द ने देखा ज्ञानपुरी का तो जैसे कायाकल्प हो गया है। यहां ज्ञान की गंगा बहती वह देख रहा था, उसका नाम ज्ञानपुरी अब सार्थक था। यही तो सपना था उस वृद्ध शिक्षक का जिसे उसने नव-युवकों के श्रम के बल पर सार्थक कर दिया था।

✧✧✧✧

श्रम के पुत्रो ! माटी की जय बोल दो !

हर हाथों में शोभित हो पावड़ा कुदाल
हर झोपड़ियों के दरवाजे खोल दो,
श्रम के पुत्रो ! माटी की जय बोल दो।
तरुण जहां मेहनत को रोज सवारता,
पत्थर से है भागीरथी निकालता
रात दिवस का यहां न कोई प्रश्न है,
महलों जैसा यहां न कोई जश्न है।
धन्य यहां की धरा, यहां का वेश है,
ताजमहल औ फसलों का यह देश है,
टिका हिमालय मेहनत की शमशीर पर,
नाज हमें है सपनों से कश्मीर पर,
हर प्रातः को नभ देता आशीष है,
श्रमिक झुकाता नित्य सूर्य को शीश है,
सबके प्राणों में अमृत अब घोल दो,
गृह नक्षत्रो ! माटी की जय बोल दो।
सजती खेतों में फसलों की आरती,
हवा सावनी तन को रोज संवारती,
हर ऋतुएं इस देश की मेहमान हैं,
पंछी के सब बोल यहां के गान हैं,
यहां पसीना ही शबनम का रूप है,
चन्दन की वेदी पर जलते दीप हैं,
स्वर्ग बसेगा धरती के इन गांवों में,
दृढ़ता होगी आजादी के पांवों में,
युग युग तक यह देश तभी आजाद रहेगा,
सपनों के बृन्दावन में आबाद रहेगा,
भारत की धरती पर मोहन की वंशी बजती
जन जन का मन विश्वासों से तोल दो,
ओ कवि मित्रो ! माटी की जय बोलदो !
श्रम के पुत्रो ! माटी की जय बोल दो !

शिवप्रसाद 'कमल'

....दीक्षांत समारोह का दिन।
कल्याणी अपने बेटे के स्नातक होने पर खुश है।
सब मातायें अपने बच्चों को शिक्षित
और सम्मानित देखना चाहती हैं।
परन्तु सब मां-बाप अपने बच्चों के जीवन में, यदि बच्चे
ज्यादा संख्या में हों तो, ऐसा अवसर प्रदान नहीं कर सकते।
आप अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा दिला सकते हो,
यदि उनकी संख्या को दो या तीन तक सीमित रखते हो।

परिवार नियोजन के लिये आपको परिवार कल्याण
नियोजन केन्द्रों से मुफ्त सलाह और सेवा मिल सकती है।
इन केन्द्रों को इन पर लगे "लाल तिकोन"
के निशान से पहचाना जा सकता है।

नियोजित परिवार
बेहतर शिक्षा के लिये

सुनहरा दिन

davp 70/242

अधिक उपज की ओर

दो करोड़ बत्तीस लाख टन गेहूं

इस साल देश में चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का और रागी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इसके फलस्वरूप लगातार दूसरे साल भी अन्न के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चौथी योजना में 1973-74 के लिए 2 करोड़ 40 लाख टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, किन्तु चार वर्ष लगातार रिकार्ड उत्पादन होने के कारण इस साल ही 2 करोड़ 32 लाख टन गेहूं की पैदावार हो चुकी है।

चावल के उत्पादन में 1969-70 के मुकाबले 1970-71 में 5.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि इस साल चावल बोने की जमीन में 0.7 प्रतिशत कमी हुई।

चौथी योजना में 1973-74 तक 70 लाख टन बाजरा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था, किन्तु इसी साल ही बाजरे की पैदावार 80 लाख टन हो गई है।

1970-71 में 1969-70 के मुकाबले 83 लाख 10 हजार टन अर्थात 8.4 प्रतिशत अधिक अन्न पैदा हुआ है। 1970-71 में खाद्यान्नों की वृद्धि मुख्यत: गल्ले की पैदावार में वृद्धि के कारण हुई है। जहां तक दालों का सम्बन्ध है, पिछले साल के मुकाबले 1970-71 में उत्पादन में कुछ कमी आई है। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और हरियाणा में अन्न का उत्पादन बढ़ा है, जबकि महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, और जम्मू-कश्मीर में कुछ हद तक अन्न का उत्पादन कम हुआ है।

1970-71 में चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का और रागी की प्रति हैक्टर पैदावार भी पिछले सभी सालों की अपेक्षा अधिक हुई। यह अनुकूल मौसम और कृषि विकास कार्यक्रमों की प्रगति का नतीजा है। प्रत्येक फसल की स्थिति इस प्रकार है :—

चावल

1970-71 में कुल 4 करोड़ 24 लाख 50 हजार टन चावल का उत्पादन हुआ। इतना उत्पादन पहले किसी एक साल में नहीं हुआ था। वह पिछले साल से 5 प्रतिशत अधिक है। मुख्यत: तमिलनाडु, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गुजरात और पंजाब में चावल की पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई।

पिछले साल के मुकाबले प्रति हैक्टर पैदावार 5.7 प्रतिशत अधिक हुई।

गेहूं

1970-71 में 2 करोड़ 32 लाख 50 हजार टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 31 लाख 50 हजार टन अर्थात 15.7 प्रतिशत अधिक है।

अक्तूबर से दिसम्बर 1970 के दौरान वर्षा कम हुई। इसके अलावा, हरियाणा और पंजाब में बिजली की कमी के कारण सिंचाई के लिए काफी पानी भी नहीं मिल सका। अप्रैल-मई, 1971 में कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश होने और ओले पड़ने से भी फसलों को काफी क्षति हुई। फिर भी गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ।

उत्तरप्रदेश, राजस्थान और गुजरात में गेहूं की पैदावार में विशेष वृद्धि हुई। 1970-71 में 1299 किलोग्राम प्रति हैक्टर गेहूं पैदा हुआ है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 7.4 प्रतिशत अधिक है। पंजाब और हरियाणा में प्रति एकड़ उत्पादन देश के औसत प्रति एकड़ उत्पादन से काफी अधिक है और अन्य प्रसिद्ध गेहूं उत्पादक देशों के बराबर है।

बाजरा

इस साल देश में कुल 80 लाख टन बाजरा पैदा हुआ जो पिछले साल से 50 प्रतिशत अधिक है। राजस्थान में 1969-70 में केवल 80 लाख 80 हजार टन बाजरा हुआ था, जो 1970-71 में बढ़कर 2 करोड़ 67 लाख 40 हजार टन हो गया। इसके अतिरिक्त, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में बाजरे की पैदावार में वृद्धि हुई है।

मक्का

इस साल कुल 74 लाख 20 हजार टन मक्का की पैदावार हुई जो पिछले साल के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल 56 लाख 70 हजार टन की पैदावार हुई थी। मुख्यत: उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात और मैसूर में मक्का के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

ज्वार

ज्वार के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1969-70 में 97 लाख 20 हजार टन ज्वार का उत्पादन हुआ था, जबकि 1970-71 में 81 लाख 90 हजार टन ज्वार का उत्पादन हुआ। पिछले साल के मुकाबले मौसम अधिक प्रतिकूल होने से महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश और तमिलनाडु में ज्वार की पैदावार कम होने के कारण ही उत्पादन में यह कमी हुई है।

जौ का उत्पादन 1969-70 में 27 लाख 20 हजार टन से बढ़कर 1970-71 में 28 लाख 70 हजार टन हो गया। यह वृद्धि मुख्यत: राजस्थान और बिहार में हुई।

दालें

1970-71 में चने का उत्पादन 52 लाख 50 हजार टन हुआ जो पिछले वर्ष के उत्पादन से 3 लाख टन कम है। दालों के कम उत्पादन का कारण हरियाणा, पंजाब, और उत्तरप्रदेश में दाल की फसल के दिनों में पर्याप्त वर्षा न होना है।

1970-71 में दालों का कुल उत्पादन 2 करोड़ 15 लाख 80 हजार टन हुआ, जो पिछले साल से थोड़ा सा कम है।

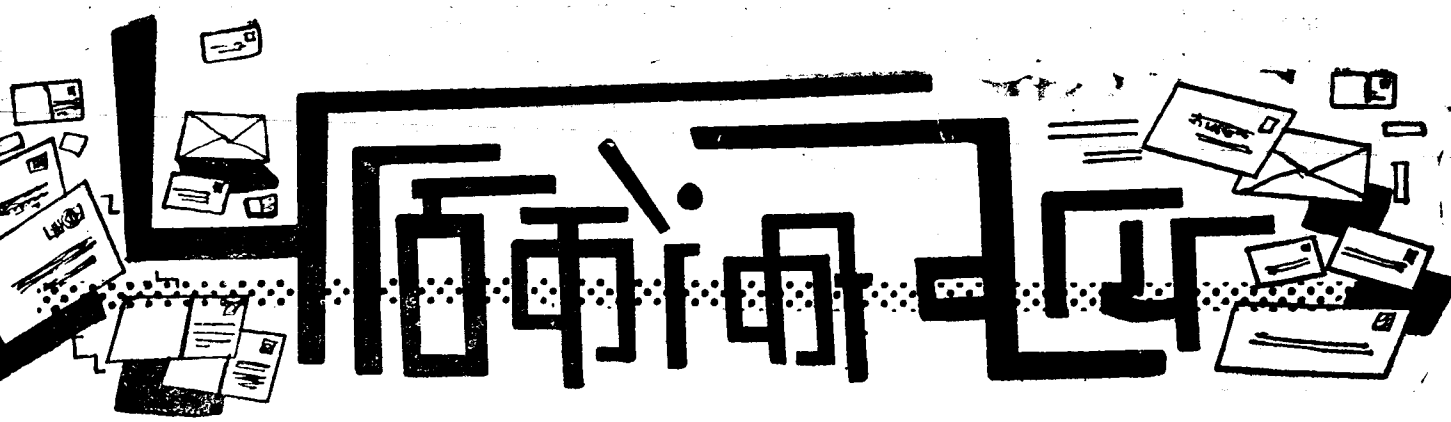

हिन्दू संयुक्त परिवार विघटन की ओर क्यों ?

भारत में संयुक्त परिवार प्रथा बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है और हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रही है। जिस तरह हमारे प्राचीन काल के समाज में गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र) का अस्तित्व था उसी तरह हर परिवार में भी चातुर्वर्णी व्यवस्था मौजूद थी। यदि किसी परिवार में चार भाई होते थे तो कोई कृषि कर्म में रुचि रखता था तो कोई क्षात्र कर्म में। किसी की रुचि वाणिज्य व्यवसाय में होती थी तो किसी की सेवा सुश्रूषा में। पर जीवन में वैषम्य कहीं न था। समता, बन्धुत्व और स्वतन्त्रता का पूर्ण साम्राज्य था। प्रेम, सौहार्द और औदार्य की निर्झरिणी बहती रहती धी। जीवन में भौतिकता व्याप्त थी। पर वह नैतिक मूल्यों और अनुशासन पर आधारित थी। इस तरह समाज सुदृढ़ सफल परिवार व्यवस्था की नींव पर खड़ा था और जीवन में श्रेय और प्रेम दोनों ही उपलब्ध थे। पर समय सदा एक सा नहीं रहता। देश ने अनेक उलट फेर देखे हैं और आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। पुराने मूल्य अब लुप्त होते जा रहे हैं। आज की परिस्थिति में जिस तरह वर्णव्यवस्था समय के उपयुक्त नहीं जान पड़ती उसी तरह संयुक्त परिवार प्रथा भी असामयिक है। वास्तव में हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि यह प्रथा अपने आप टूटती जा रही है।

संयुक्त परिवार प्रथा के टूटने के वैसे तो अनेक कारण हैं पर खास कारण यह है कि भारत के पाश्चात्य जगत् के सम्पर्क में आने से वहां की सभ्यता और संस्कृति का यहां की जनता पर भी प्रभाव पड़ा। देश के उच्च शिक्षित वर्ग के लोगों ने रहन सहन का पाश्चात्य ढंग अपनाया जिसमें संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं था। देखा देखी और लोगों ने भी यही ढंग इख्तियार किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में शिक्षा का प्रचार बढ़ा। शिक्षित नारियां अपने अधिकारों के प्रति सजग हुईं। पढ़े लिखे लोग गांव छोड़कर शहरों में आकर रहने लगे। कोई नौकरी मिल जाने की वजह से और कोई वहां अधिक साधन सुविधाओं के कारण से। दो भाइयों में से एक शहर में रहा तो एक गांव में। इस तरह परिवार विच्छिन्न हुआ। इससे एक लाभ तो यह हुआ कि स्त्रियों को जहां सास ससुर और जेठ जिठानीके सख्त नियन्त्रण में रहना पड़ता था वहां यहां आकर उन्हें कुछ राहत की सांस मिली। शिक्षित औरतों को इस संयुक्त परिवार व्यवस्था से बेहद नाराजगी थी और उनका इसके खिलाफ खुला विद्रोह है।

स्वार्थ का टकराव

संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन का एक कारण यह भी है कि परिवार के लोगों में अब एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना नहीं रही। समाज का प्रत्येक व्यक्ति भौतिकता की दौड़ में अपने को सबसे आगे रखने के लिए प्रयत्नशील है। भाई भाई में स्वार्थ का टकराव आपस में मनमुटाव पैदा करता है और अन्त में वे एक दूसरे से अलग रहना ही अच्छा समझते हैं।

जब हम आज की स्थिति में संयुक्त परिवार प्रथा के गुण दोषों पर विचार करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संयुक्त परिवार सन्तुलित व्यक्तिव के विकास में बाधक है। मान लीजिए एक ही परिवार में जब दो या तीन प्रकार का जीवन स्तर होता है तो यह स्वाभाविक है कि निम्न स्तर वाला व्यक्ति स्वयं को सब से हीन समझेगा और हीन व्यक्तियों का समुचित एवं स्वस्थ विकास सम्भव नहीं। अधिकतर देखने में आया है कि मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति ऐसे ही परिवारों में अधिक पैदा होते हैं। एक अध्ययन से यह पता चला है कि स्त्रियों में हिस्टीरिया (एक मानसिक बीमारी) सास ननद तथा परिवार के अन्य लोगों के बुरे बर्ताव के

कारण होती है।

आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग समाज की झूठी मर्यादा तथा अन्ध विश्वास के कारण संयुक्त परिवार से अलग नहीं होना चाहते चाहे उसमें वह नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हों। वहां स्त्रियों की तो इतनी दयनीय स्थिति होती है कि बेचारी तिल तिल कर घुटती रहती हैं और अपने मौत के दिन गिना करती हैं। दुःख के आंसू पीने के सिवाए उनके पास कोई और चारा नहीं होता। कभी कभी पति के निखट्टू होने या उसकी आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण वह संयुक्त परिवार को छोड़ भी नहीं सकता। इस प्रकार उनका जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता है जिसका प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। कई लोग परिवार से लोकलाज के कारण सम्बन्ध विच्छेद नहीं करते। वे डरते हैं कि बाहर लोग कहेंगे कि भाई भाई अलग हो गए और बाप की इज्जत धूल में मिला दी। ऐसे व्यक्ति मजबूरियों के कारण ही संयुक्त परिवार में बने रहते हैं लेकिन उनका मन वास्तव में अलग रहने को छटपटाता रहता है। अतः आज संयुक्त परिवार में स्वतन्त्रता के दर्शन नहीं होते। व्यक्ति के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी है कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाए।

मेरा संयुक्त परिवार प्रथा के विषय में यह विचार किसी पूर्वाग्रह के कारण नहीं अपितु इस कारण है कि इस प्रथा में बहुत अवगुण आ गए हैं। संयुक्त परिवार तभी सफल हो सकते है जब निखट्टू तथा आलसी सदस्यों को भी भरपेट भोजन मिलता रहे तथा वही सुविधाएं मिलती रहें जो मेहनत करके पैसा कमाने वाले को मिलती हैं। इस तरह परिवार में सामंजस्य और मेल-मिलाप कैसे रह सकता है? उदाहरणों से पता चलता है कि फिर बड़े संयुक्त परिवार तभी सफल हुए जबकि उनको आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब तो ऐसा समय आ गया है जब सबको ही मेहनत करके जीवन बसर करना पड़ेगा। मेरा तो कहना यह है कि जब परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेमभाव न हो, एक दूसरे की सहायता को तत्पर न हों, एक दूसरे में सहनशक्ति न हो, तो इससे तो अच्छा है कि अलग अलग ही रहें जिससे कम से कम परिवार के सदस्यों में प्रेम तो बना रहेगा तथा दुःख सुख में काम तो आ सकेंगे। पहले तो परिवार का कर्त्ता धर्त्ता जो कह देता था सबको मानना पड़ता था, लेकिन अब शिक्षा के प्रसार तथा शहरी जीवन के सम्पर्क से लोगों में इतनी जागरूकता आगई है कि सबका अपना अपना अलग अलग सोचने का तरीका हो गया है तथा परिवार के मुखिया के असन्तुलित व्यवहार का ज्ञान होने लगा है। इसके अतिरिक्त, लोगों के जीवन की आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं जो संयुक्त परिवार में पूरी नहीं हो सकती हैं। अतः संयुक्त परिवार प्रथा का धीरे धीरे विघटित होना श्रेयस्कर ही है।

सुरेश कुमारी चौहान

राष्ट्र के भावी कर्णधार.....[पृष्ठ 1 का शेषांश]

बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में सैकड़ों बालवाड़ियां खोली जा चुकी हैं। जरूरत इस बात की है कि इन बालवाड़ियों में बच्चों के समुचित शिक्षण और रहन-सहन की ओर ध्यान दिया जाए। उनका रहन सहन और खानपान एक जैसा हो। बच्चों को गरीबी अमीरी का भान न होने पाए। इससे उनमें समता और बन्धुता की भावना जगेगी और समाजवाद के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

इसके साथ-साथ बच्चों के अभिभावकों का भी कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चों के समुचित विकास की ओर ध्यान दें। बच्चों की वृत्तियां बड़ी कोमल होती हैं और उन्हें जिस दिशा में मोड़ा जाए उसी दिशा में मुड़ जाती हैं। यदि आपके बच्चे की वृत्तियां तोड़फोड़, गन्दगी, मारपीट, चोरी आदि बुरी आदतों की ओर अग्रसर हैं तो जरूरत है कि उसकी वृत्तियों पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है और वह खासकर अपने मां-बाप का अनुकरण करता है। अतः मां-बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अपनी बुरी आदतों को देखने व अनुकरण करने का अवसर न दें। बच्चों को थोड़ा बहुत ताड़ा जा सकता है पर उन्हें मारना-पीटना नहीं चाहिए। उनकी बुरी आदतों को प्यार से ही बदला जा सकता है। गांधीजी का कथन है कि बच्चों को मारना पीटना कायरता है। अतः व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र सभी का दायित्व है कि राष्ट्र को सबल तथा सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास पर पूरा पूरा ध्यान दें।

कहानी

बलिदान

डा० श्यामसिंह शशि

अनुराग और लियाकत बचपन के साथी थे। दोनों कुश्तिया के रहने वाले थे। उनके परिवारों में परस्पर अच्छे सम्बन्ध थे।

दुर्गापूजा पर लियाकत अनुराग के घर अवश्य जाता। उसके घर वाले भी पूजा के लिए कुछ चढ़ावा लाते।

लियाकत के घर जब ईद मनाई जाती तो अनुराग उससे गले मिलता। उसके घर वाले भेंट स्वरूप कुछ भिजवा देते।

दिन और रात का स्थान सप्ताहों ने लिया और यों महीने तथा वर्ष गुजरते गए।

दोनों ने साथ साथ मैट्रिक किया। लेकिन आगे पढ़ना सम्भव न हो सका।

नौकरी की समस्या थी। बंगाली होने के कारण अच्छा स्थान मिलना मुश्किल था।

लियाकत किसी तरह ढाका चला आया। एक दफ्तर में क्लर्क लग गया। अनुराग के मां बाप उसे दूर भेजना नहीं चाहते थे। इसीलिए बेचारे को एक बनिए की दुकान पर नौकरी करनी पड़ी।

अनुराग को इस बीच कुछ पहलवानी का शौक लग गया था। वह कभी कभी बादामों और पिश्तों में हाथ मार लेता।

एक दिन बनिए ने देख लिया। खूब फटकारा। एक दो चांटे भी रसीद कर दिए।

लेकिन अनुराग अब अखाड़ों में जमने लगा था। उसने कई पहलवानों को चित्त कर दिया था।

अनुराग को उस्ताद बनर्जी का खिताब मिल गया। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते तो कुछ उसकी कामयाबी के कारण ईर्ष्या करते। वह अब अच्छा हट्टा कट्टा हो गया था।

लियाकत ने अपने दफ्तर की एक टाइपिस्ट से शादी कर ली। अनुराग बनर्जी भी बड़े रौबदाब के साथ शादी में शामिल हुआ था।

लियाकत की बीवी ने एक दिन अनुराग से पूछा, "इतना हट्टा कट्टा शरीर लेकर कहां जाओगे। शादी क्यों नहीं कर लेते?"

अनुराग ने हंसकर कहा, "भाभी, कुछ लोगों को देश की रक्षा के लिए कुआंरा भी रहना चाहिए। मेरे शादी न करने से कोई दुनिया का वंश थोड़े ही नष्ट हो जाएगा।"

सचमुच अनुराग ने देश रक्षा का व्रत ले लिया था। लेकिन बंगाल राइफल्स में जब भर्ती होने गया तो किसी पाकिस्तानी अफसर से झड़प हो गई। बेचारे को निराश होकर फिर बनिए की दुकान पर आना पड़ा।

अब वह सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने लगा था। उसने गांव से स्टेशन तक जाने के लिए एक रास्ता ठीक करवाया। लोग उसके साथ काम करने में खुशी महसूस करते।

कई मौसम आए, कई गए। लेकिन अनुराग ने शादी नहीं की। लियाकत की बीवी जब कभी उसे समझाती वह हंसकर टाल देता।

1971 की मई-जून की भीषण गर्मी। एक पत्र आया। लिखा था—"प्यारे अनुराग, तुम्हें यह जानकर दुःख होगा कि ढाका की सड़कों पर मुर्दा लाशें पड़ी सड़ रही है। गिद्धों और कुत्तों का पेट इतना भर गया है कि उन्होंने भी इनकी ओर देखना बन्द कर दिया है। पाकिस्तानी फौज ने सारे शहर को मुर्दाघाट बना दिया है। तुम्हारी भाभी का भी परसों से कुछ पता नहीं है। मां बेटे से, पति पत्नी से तथा भाई बहन से बिछुड़ गए हैं। अनेक शरणार्थी बनकर भारत की ओर जा रहे हैं। पता नहीं अब हम कभी मिल पाएंगे या नहीं। आगे कुछ नहीं लिखा जा रहा। अब सबको आखिरी सलाम।

···तुम्हारा जिगरी दोस्त लियाकत।"

अनुराग की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आपको सम्भाला। प्रतिशोध की भावना भड़क उठी। "मेरे भैया और भाभी पर अत्याचार, मैं दुश्मन का खून पिए बिना नहीं रहूंगा। भाभी और भैया को खोज कर नहीं लाया तो किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा।"

अनुराग ने अपने तथा लियाकत के घर वालों को आखिरी फैसला सुना दिया। लियाकत के घर वालों ने उसे जाने से रोका लेकिन वह नहीं माना।

अनुराग के मां बाप ने विदाई देते समय कहा—"जाओ बेटे! अपने भाई और भाभी को बचाओ। अपने देश के बच्चे बच्चे की रक्षा करो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे।"

अनुराग घर से निकल पड़ा।

चारों ओर घुप अंधेरा। दूर दुश्मन के गोलों की कर्णभेदी आवाज। विनाश के मंडराते बादल। घर्राता वातावरण। आग, धुआं, लपटें और लपटों में जलता बंगला देश। सुभाष बोस का देश। विवेकानन्द की भूमि। रवीन्द्रनाथ टैगोर का पावन निकेतन।

लेकिन यह आग कितनी भयंकर है। दावानल की तरह सर्वत्र फैलती जा रही है। अनुराग बढ़ रहा था।

"यह काफिला कहां जा रहा है?" अनुराग ने एक बूढ़े से पूछा।

"कालिकात्ता की ओर।" बूढ़े ने जवाब दिया।

"लेकिन क्यों ?"

"देखते नहीं, कुत्तों को, क्या छोड़ा है उन्होंने हमारे पास ? कपड़े तक जला डाले, हम सब अधनंगे हैं। खाने को कुछ नहीं रहा। अब कहां जाएं ? हिन्दुस्तान के अलावा, कोई जगह भी नहीं जहां हमें शरण मिलती।"

बूढ़े की आंखों से टपाटप आंसू झर रहे थे।

अनुराग बेचारा स्वयं दो दिन का भूखा था। वह किसको क्या देता ? हां हिम्मत बंधाने के लिए दो शब्द जरूर बोल देता।

उसने कई काफिले छोड़े। लेकिन कोई जवान बहू या लड़की देखने में नहीं आई। एक बुढ़िया से पूछा, "मां तुम्हारी कोई बहू बेटी नहीं है क्या ?"

बुढ़िया की हिचकियां बंध गईं।

"बेटा, यही तो हो रहा है यहां। सुना है उनको किसी अफसर ने जबरदस्ती रखैल रख लिया है पर कई लड़कियों की तो जान ही ले ली गई।"

अनुराग का शक बढ़ता गया। वह भारत की ओर न जाकर ढाका की ओर वापिस मुड़ गया। रास्ते में उसकी मुलाकात किसी मुक्ति सैनिक से हुई। वह उसके साथ हो लिया।

मुक्ति सेना में भर्ती होकर उसकी खुशी का पारावार न रहा। यह तो उसकी बचपन की ही इच्छा थी।

एक दिन अनुराग के कमांडर ने उसे अकेले ही एक मोर्चा संभालने को कहा। वह अपनी टुकड़ी से अलग होकर पहरा देने लगा। अचानक बूटों की आवाज सुनाई दी। एक पाकिस्तानी अफसर उनकी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसके पीछे पीछे कुछ अर्द्धनग्न युवतियां थीं। पीछे कुछ सिपाही थे जो उन्हें बन्दूक के कुन्दे से धकेल रहे थे। कुछ चीख रही थीं, तो कुछ चुपचाप जुल्म सह रही थीं।

दुश्मन का गश्ती दल अनुराग की तरफ और आगे बढ़ा। एक जोर की चीख सुनाई दी। उसे लगा यह भाभी की आवाज है। अनुराग खंदक से बाहर निकल आया। देखा तो सचमुच उसकी भाभी मेजर की बगल में थी। अनुराग को यह सहन कैसे होता ? वह दूर से ही चिल्लाया, "कुत्तो, तुम्हें शर्म नहीं आती यह कुकर्म करते हुए। कायरो, तुम इतना गिर चुके हो कि अपनी मुसलमान बहनों के साथ भी···छोड़ दो इन सबको, वरना किसी को भी जिन्दा नहीं छोड़ूंगा।"

सबकी बन्दूकें तन गईं।

बानू बेगम ने देखा उसका अनुराग मौत के मुंह में खड़ा था। वह बोली — "अनुराग भैया मैं तुम्हारी मशकूर हूं कि तुम मेरी रक्षा के लिए यहां आए। लेकिन इतने जनों से कैसे पार पाओगे ? मुझे तो ये मारेंगे ही लेकिन तुम नाहक अपनी जान क्यों गंवा रहे हो ?"

"यह क्या कहती हो भाभी, मेरे सामने ये कायर तुम्हें सताएं। ऐसा मैं कभी नहीं देख सकता।"

और इतना कहते ही वह मेजर की ओर बढ़ा। ठांय ठांय। गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाने लगा। अनुराग छापा मार लड़ाई में प्रवीण हो गया था। उसने आसपास कई झुरमुट बना रखे थे। वह दुश्मन के वार के समय छुप जाता। मेजर कांप रहा था। अनुराग ने एक निशाना लगाया, गोली मेजर के सर के पार गई। वह भी चित्त हो गया।

तीन सिपाही बचे थे। उन्होंने एक साथ अनुराग पर धावा बोल दिया। एक गोली अनुराग के सीने पर लगी, वह लेट गया। लेकिन लेटे लेटे उसने एक बार फिर गोली चलाई। दोनों सिपाही ढेर हो गए। अनुराग की भाभी उसकी ओर दौड़ी लेकिन वह कुछ न कर सकी।

अनुराग सिर्फ इतना ही कह पाया — भा···भी···भैया···देश···और फिर बंगला देश के लिए बलिदान हो गया।

भगवान हमारा मित्र—सम्पादक : चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य ; अनुवादक : लक्ष्मी देवदास गांधी; प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली; पृष्ठ संख्या : 36; मूल्य : एक रुपया।

'जे पहुंचे ते कहि गए तिन की एकहि बात' का प्रतिपादन करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने 'भगवान हमारा मित्र' की प्रस्तावना में लिखा है—"संसार के सभी धर्म मनुष्य को ऊपर उठाकर परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए हैं। हरेक धर्म के महापुरुषों ने उस पराशक्ति के अस्तित्व को पहचानकर, अनुभव करके, भक्ति के गीत गाए हैं।" वास्तव में राजाजी ने सन्त लारेंस के विचारों का गीता से समन्वय स्थापित किया है। एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं—'संत लारेंस के तत्वों को हम "सौहृदयोग" का बीज कह सकते हैं। इस सौहृदयोग का बीज श्रीमद्भगवद गीता में भी है।" साथ ही संत लारेंस के विचारों का एकात्म महात्मा गांधी के विचारों से भी करने का प्रयास किया गया है—महात्मा गांधी ने भी हमें सर्व धर्म समानत्व का मार्ग दिखाया।

यह सब तो है मगर संत लारेंस के विचार क्या हैं, पहले हम यह जान लें। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित अंशों के अनुसार हम संक्षेप में संत लारेंस के विचारों को इस प्रकार कह सकते हैं—भगवान हमारा मित्र है। जिस प्रकार हम अपने प्रत्येक कार्य के लिए अपने मित्र से राय तथा सहयोग लेते हैं उसी प्रकार हमें हर कार्य भगवान का राय तथा सहयोग से करना चाहिए। हर वह कार्य जिसमें भगवान का सहयोग हो, सफल होता है। असफल केवल वही कार्य होते हैं जिनमें भगवान का सहयोग नहीं होता। आपत्ति के समय हम जिस प्रकार मित्र को याद करते हैं और सच्चा मित्र आ जाता है उसी प्रकार आपत्ति के समय पुकारे जाने पर भगवान भी आकर सहायता करता है।

लगभग इसी प्रकार की बातें गीता में ग्यारहवें अध्याय में हैं। स्थूल रूप से ये बातें एक सी न लगें पर मूल रूप से हैं एक ही।

मूल पुस्तक में राजाजी ने संत लारेंस के विचारों को तमिल में संकलित किया है। इसका अनुवाद उनकी सुपुत्री ने ही किया। यद्यपि मूल को देखने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ पर प्रस्तुत पुस्तक को पढ़ने पर सहज ही पता चल जाता है कि अनुवादक ने विचारों की आत्मा को अच्छी तरह पकड़ लिया है और उनकी भाषा कहीं भी असमर्थ नहीं है। गेटअप की दृष्टि से पुस्तक बाल साहित्य की पुस्तक जैसी लगती है।

सुरेश उनियाल

झील के उस पार—लेखक : गुलशन नन्दा ; प्रकाशक : हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० लि०, जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-32 ; मूल्य : तीन रुपये ; पृष्ठ संख्या : 192।

उपन्यास समाज का दर्पण होता है, पर जीवन की वास्तविकता, यथार्थता से कटा हुआ गुलशन नन्दा का यह उपन्यास समाज के एक विशेष वर्ग पर ही प्रभाव डाल सकता है—अतः समाज का दर्पण नहीं बन सकता। जिज्ञासा, घुटन, पैसे की भूख, विश्वास, अविश्वास, रहस्य, भावुकता, स्वार्थ, प्रेम, सहानुभूति, प्रायश्चित आदि इन्द्रधनुषी खानों से बनी शतरंज पर गोटियों के रूप में समीर, नीलू, प्रताप, माया, डाक्टर, दीवान, जुगनू आदि पात्र बिखरे पड़े हैं। उन्हें गुलशन नन्दा अपनी इच्छानुसार जिधर चाहे मोड़ देते हैं।

उपन्यास के आरम्भ में एक रहस्यमयी जिज्ञासा प्रश्न बनकर सामने आ जाती है पर कुछ पृष्ठ पढ़ने पर स्वयं ही तिरोहित हो जाती है। पाठक को सहज ही विश्वास हो जाता है कि कुछ अड़चनों के बाद उपन्यास के नायक व नायिका का मिलन निश्चय ही होगा।

कथानक में कोई नवीनता नहीं है और घिसेपिटे त्रिकोण पर आधारित है। पात्रों का चरित्र चित्रण कथानक की दृष्टि से अच्छा बन पड़ा है पर इस प्रकार के उपन्यास इतने आ चुके हैं कि पाठक के हृदय पर किसी प्रकार का विशेष प्रभाव नहीं अंकित हो पाता।

लेखक ने घटनाचक्र को यथासम्भव रहस्यमय बनाने का प्रयत्न किया है लेकिन कुल मिलाकर वह अस्वाभाविक सा हो गया है। यद्यपि वातावरण निर्माण में गुलशन नन्दा पूर्णतः सफल रहे हैं, तथापि जिस समाज का चित्रण उन्होंने किया है उसमें अनुभूति का अभाव खटकता है, उसमें स्वाभाविकता की कमी खटकती है।

उपन्यास के कुछ अंश निश्चय ही हृदय में झंकार उत्पन्न कर देते हैं :—'हां, शेरसिंह, जीवन रंग न बदले तो एक जगह ठहर जाता है, ठीक इस झील की तरह, जो बरसों से चुपचाप, पहाड़ों की गोद में लेटी आराम कर रही है..... एक ऐसी नींद सो रही है जो कभी न टूटेगी।'

संवादों में प्रवाह है और भाषा सजीव है :—'हां मेरा जीवन भी तो एक कविता है जिसमें जीवन का रस कम है और दर्द ज्यादा।'

आवरण पृष्ठ आकर्षक है और प्रूफ की अशुद्धियां भी कम हैं। गुलशन नन्दा की लोकप्रियता के कारण मूल्य अवश्य कुछ अधिक है।

मधु कौशिक

केन्द्र के समाचार

सहायता

मैसूर राज्य को विकास योजनाओं के लिए सहायता के तौर पर (45 लाख डालर) 3 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपये की खाद्य वस्तुएं दी जाएंगी। खाद्य वस्तुओं में गेहूं, ज्वार और मक्खन निकाले दूध का पाउडर होगा। यह सहायता सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच हुए दो समझौतों के अन्तर्गत दी जाएगी।

एक समझौते के अन्तर्गत गांवों में 1100 मील लम्बी सड़कें बनाने तथा बेलारी और रायचूर जिलों में तुंगभद्रा बांध से सिंचित 4 लाख एकड़ भूमि को विकसित करने में सहायता दी जाएगी। इन योजनाओं से पांच साल की अवधि के लिए 5 हजार बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इनकी मजदूरी का कुछ भुगतान विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त खाद्य पदार्थ देकर किया जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम 26 लाख डालर के मूल्य की वस्तुएं सप्लाई करेगा।

दूसरे समझौते के अन्तर्गत चित्रदुर्ग, तुमकुर, कोलार और बंगलौर के जिलों में 40 लाख 50 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि का भू-संरक्षण किया जाएगा जिससे 5,625 रोजगार-रत परिवारों को पांच साल तक के लिए साल में छः महीने के लिए रोजगार प्राप्त होगा। श्रमिकों को विश्व खाद्य कार्यक्रम के रूप में दिए जाने वाला मजदूरी का अंश लगभग 19 लाख डालर के मूल्य का होगा।

किसान योजनाएं

छोटे और अपने गुजारे भर के लिए पैदावार करने वाले किसानों को 2,025 नलकूप, 3,336 कुएं, 1,643 पम्पसेट और 1,367 दुधारू पशु और 419 मुर्गियां मुहैया की गई हैं।

छोटे किसानों की विकास एजेंसी ने 46 कार्यों की योजनाएं बनाई हैं जिन पर 67 करोड़ 50 लाख रु० खर्च होंगे। इनमें से 45 कार्य पंजीकृत हो चुके हैं। अपने योग्य अनाज पैदा करने वाले किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए जो एजेंसी बनी है, उसने 41 कार्यों की योजनाएं बनाई हैं। इन पर 47 करोड़ 50 लाख रु० खर्च होंगे। इनमें से 33 कार्य पंजीकृत हो चुके हैं।

ग्राम उद्योग योजना

पिछले सात वर्ष से 234 सामुदायिक विकास खण्डों में 49 योजनाओं पर काम हुआ है। इन योजनाओं में मार्च, 1971 तक 1 लाख 34 हजार लोगों को गैर कृषि उद्योगों में रोजगार दिया गया। 1970-71 में रोजगार की दर में 14.6 प्रतिशत वृद्धि हुई।

कुल 30,171 कारखानों को या तो कारखाना शुरू करने के लिए या मौजूदा उद्योगों का विस्तार करने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। इनमें से 13,880 कारखाने नए लगाए गए हैं। इन कारखानों में लगभग 150 तरह की चीजें तैयार की जाती हैं। इनमें 40 प्रतिशत आधुनिक ढंग के छोटे कारखाने हैं, जहां बिजली और टैक्नालाजी की सहायता से काम होता है।

1970-71 के दौरान इन कारखानों में लगभग 26 करोड़ 41 लाख रु० के मूल्य का उत्पादन हुआ। पिछले वर्ष 21 करोड़ 74 लाख रु० के मूल्य का उत्पादन हुआ था।

मार्च, 1971 तक इन कारखानों में कुल 18 करोड़ 58 लाख रु० की पूंजी लगाई गई, जबकि पिछले वर्ष मार्च 1970 के अन्त तक यह राशि केवल 16 करोड़ 68 लाख रु० थी। इस प्रकार पूंजी निवेश में 11.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।

युवक कल्याण योजनाएं

भारत सरकार ने चौथी योजना के दौरान देश के युवकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय युवा मण्डल की सिफारिशों पर अमल करने का निर्णय किया है। लेकिन बंगला देश के विस्थापितों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केवल दो योजनाएं ही हाथ में लेने का निर्णय किया जा रहा है। ये योजनाएं खेल के मैदान और कार्य केन्द्रों के विकास से सम्बन्धित हैं।

इनमें से एक योजना के अन्तर्गत देश के शहरों में जनता की सहायता से खेल कूद के मैदानों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इस काम के लिए 170 जिलों या प्रत्येक राज्य के आधे जिलों को सहायता दी जाएगी। योजना अवधि के दौरान हर जिले को अधिक से अधिक 50,000 रु० की सहायता दी जाएगी।

कार्य केन्द्रों से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत चौथी योजना काल में ऐसे 20 केन्द्र विकसित किए जाएंगे। आमतौर पर प्रत्येक राज्य में एक कार्यकेन्द्र होगा। इस योजना का उद्देश्य गैर स्कूली बच्चों को ऐसे काम धन्धों की ट्रेनिंग देना है, जो वे स्वयं शुरू कर सकते हैं। 50 प्रतिशत अनावर्तक व्यय के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन यह एक योजना के लिए 1 लाख रु० से कम तथा आवर्तक व्यय का 50 प्रतिशत या 60,000 रु० प्रतिवर्ष प्रति योजना से अधिक नहीं होगी।

कृषि विकास परियोजना

भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच हुए एक समझौते के अधीन नीलगिरि (तमिलनाडु) के भारत जर्मन कृषि विकास कार्यक्रम पर तेजी से अमल किया जाएगा।

शेष पृष्ठ 36 पर]

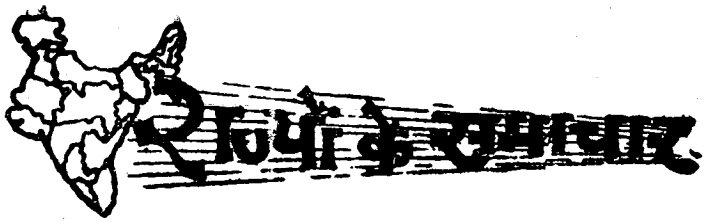

उत्तरप्रदेश

लघु उद्योग

लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार ने 18 करोड़ रुपए की विभिन्न "प्रोत्साहनात्मक योजनाएं" चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वित किए जाने से अनुमानतः 502 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 1,61,772 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।

बौने गेहूं

राज्य के कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर में यू० पी० 301 नामक बौने गेहूं की नई किस्म (ट्रिपल ड्वार्फ) निकाली गई है। इसके पौधों की ऊंचाई 8) सेन्टीमीटर से अधिक नहीं होती। गेरुआ रोग का इस जाति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बौनी होने के कारण यह झुकती नहीं है। नवम्बर में बोई गई फसल 115 दिन में तैयार हो जाती है तथा प्रति हैक्टर 45 से 55 क्विण्टल ज्यादा उत्पादन मिलता है।

छोटे किसानों को सिंचाई साधनों की सुविधा प्रदान करने के लिए 10.38 करोड़ रुपए का लघु सिंचाई कार्यक्रम 15 अगस्त 1971 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए 'एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स कारपोरेशन' ने अपनी स्वीकृत दे दी है। छोटे किसानों से तात्पर्य उन किसानों से है जिनकी जोत 2.5 एकड़ से 7.5 एकड़ के बीच में है।

गेहूं की खरीद

राज्य सरकार ने किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए गेहूं की खरीद की एक नई प्रणाली चालू की है। राज्य भर के किसानों से कहा गया है कि वे गेहूं बेचते समय अपनी जोतबही क्वालिटी इन्सपैक्टर को अवश्य प्रस्तुत करें और सरकार की मूल्य संरक्षण नीति का पूरा पूरा लाभ उठाएं। यदि किसान के पास जोतबही न हो तो उसे अपने ग्राम सभा के प्रधान अथवा न्याय पंचायत के पंच से इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उसकी खेती कितनी है और जो गल्ला वह बेचने ले गया है, उसके खेत की उपज है।

दिल्ली

निरक्षरता निवारण

दिल्ली में निरक्षता दूर करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने जो सिफारिशें की थीं उनके आधार पर एक विशद योजना बनाई गई है। इसके अन्तर्गत किसानों को उपयोगी जानकारी के द्वारा साक्षर बनाने के लिए 54 केन्द्र देहात में शुरू किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और कामकाज में लगे प्रौढ़ों को संध्या समय शिक्षित करने के उद्देश्य से 6 मिडिल व हायर सेकण्डरी स्कूल चालू हैं जिनमें 2 हजार प्रौढ़ हायर सेकण्डरी तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

नए पोषण केन्द्र

दिल्ली प्रशासन समाज कल्याण योजनाओं पर 1971-72 में 74 लाख 10 हजार रुपए व्यय करेगा। पिछले वर्ष इन योजनाओं पर 60 लाख रुपए व्यय हुआ था। 1966-67 की व्यय राशि की तुलना में यह राशि दुगुनी है। इस वर्ष योजना व्यय 17 लाख 16 हजार रुपए होगा और शेष गैर योजना व्यय होगा। दिल्ली प्रशासन अपने साधनों से एकत्र राशि में से 11 लाख 86 हजार रुपए समाज कल्याण योजनाओं पर लगाएगा।

मध्यप्रदेश

किसान सेवा केन्द्र

बेरोजगार तकनीकी स्नातकों की बेरोजगारी दूर करने के जिए राज्य में इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा आरम्भ योजना के अन्तर्गत पहले सर्विस स्टेशन का उद्घाटन 12 अगस्त को इन्दौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर उमरिया ग्राम में किया गया।

यह योजना तीव्र गति से कार्यान्वित की जाएगी जिससे बेरोजगार स्नातकों को रोजगार मिल सके। भारत सरकार बेरोजगार स्नातकों को रोजगार देने के लिए 500 किसान सेवा केन्द्र खोलने जा रही है। राष्ट्रीय बैंकों व सरकार के समन्वित प्रयासों से देश को तकनीकी व्यक्तियों के ज्ञान का पूरा लाभ मिलेगा।

उत्तम बीज

राज्य कृषि उद्योग विकास निगम ने अपने उत्तम बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत बावई विकास खण्ड (होशंगाबाद जिला) में 3970 एकड़ भूमि में एक यन्त्रीकृत बीज फार्म विकसित करने की योजना तैयार की है। यह योजना 5 वर्ष में पूरी की जाएगी। यह अनुमान है कि कुल 3000 एकड़ क्षेत्र में फसलें उगाई जाएंगी। यह फार्म दुहरी तथा तिहरी फसल प्रणाली से

प्रतिवर्ष लगभग 1200 टन उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन करेगा।

राजस्थान

क्रय-विक्रय

राज्य की नियमित मण्डियों में गत माह 8.56 रुपये मूल्य की 10 लाख क्विण्टल कृषि उपज का क्रय-विक्रय हुआ, जिसके फलस्वरूप विक्रेताओं को लगभग 20.63 लाख रुपये की आर्थिक बचत होना आंका गया है। मण्डियों को 2.65 लाख रुपये शुल्क के रूप में प्राप्त हुए जिससे कुछ मण्डियों के पास संचित कोष में 55 करोड़ रुपए हो गए हैं।

उर्वरकों का प्रयोग

कृषि में नए प्रयोगों एवं संकर बीजों के प्रयोग के साथ ही राजस्थान के कृषकों में उर्वरक अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उर्वरक की खपत केवल 623 टन थी जो बढ़कर द्वितीय योजना में 26.58 हजार टन तथा तीसरी योजना में 54.04 हजार टन हो गई।

1967-68 में बाजरा, मक्का, ज्वार, धान एवं मैक्सिकन गेहूं की संकर किस्में 4,09,553 एकड़ में बोई गई थीं। इसी दौरान 1.2.07 हजार टन उर्वरक कृषकों में वितरित किए गए। 1968-69 में यह क्षेत्र बढ़कर 7.21 लाख एकड़ हो गया और 138.84 हजार टन उर्वरक वितरित किया गया।

अरहर की खेती

जोधपुर स्थित केन्द्रीय मरु अनुसन्धान संस्थान में किए गए प्रयोग से यह सिद्ध हो गया है कि अरहर एवं सूरजमुखी आदि की फसलें कम वर्षा वाले मरु भागों में सफलतापूर्वक पैदा की जा सकती हैं। इस अनुसन्धानशाला के अहाते में इन दोनों फसलों को केवल मानसून एवं साधारण खाद द्वारा 80-90 दिन की अवधि में सफलता पूर्वक पैदा किया गया है।

समाज कल्याण

राज्य में पिछड़े वर्गों तथा सामान्य सामाज कल्याण कार्यों के लिए 1971-72 के वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3,01,60,150 रुपए का प्रावधान रखा गया है। सामान्य समाज कल्याण कार्यों में जरूरतमन्द महिलाओं, बच्चों, असहाय वृद्धों, अशक्तों, अनाथ बालों, भिक्षुओं, विकलांगों और अपराधी वृत्ति वाले लोगों के कल्याण कार्य सम्मिलित हैं।

हरियाणा

अल्प बचत योजना

राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय बचत संगठन की ओर से अल्प बचत योजना को प्रोत्साहन देने के लिए जोरदार प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयत्नों के परिणामस्वरूप जुलाई मास में विभिन्न मण्डियों तथा गांवों में लगभग 2 करोड़ 54 लाख 94 हजार रुपया छोटी बचत योजना के जमा खातों में जमा किया गया।

जमा की गई राशि में से 292.21 लाख रुपए पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में, 12.93 लाख रुपए सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों में, 24.52 लाख रुपए टाईम डिपोजिट योजना में, 0.67 लाख रुपए रैकरिंग डिपोजिट स्कीम में, 13.69 लाख रुपए सी० टी० डी० स्कीम में तथा 0.92 लाख रुपए अन्य जमा खाता में जमा किए गए।

केन्द्र के समाचार.....[पृष्ठ 34 का शेषांश]

समझौते के अनुसार परियोजना के इलाके के किसानों को छोटे छोटे ऋण देने के लिए आवर्ती कोष की स्थापना की जाएगी। पश्चिम जर्मनी इस कोष के लिए 550,000 ड्यूश-मार्क देगा। यह समझौता 30 जून, 1972 तक लागू रहेगा।

पश्चिम जर्मनी आलू की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए 650 टन कीटनाशक रसायन भी देगा।

उर्वरक कार्यक्रम

भारतीय उर्वरक निगम ने भारतीय किसानों को रासायनिक खाद प्रयोग करने की जानकारी देने का एक कार्यक्रम शुरू किया है। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों में पहले से यह कार्यक्रम चालू हो चुका है। 16 अगस्त को भुवनेश्वर में कृषि शास्त्रियों की पांचवी बैठक बुलाकर उड़ीसा में भी पहली बार यह कार्यक्रम शुरू किया गया।

1973-74 में निगम ने 11 लाख टन उर्वरक किसानों को दिया है, जो 1975-76 तक 57 लाख टन हो जाएगा। इस प्रकार निगम कार्य में बहुत वृद्धि हो जाएगी।

भण्डारगृह

योजना आयोग ने देश में अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादनों की भण्डारण क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए जो विशेषज्ञ समिति गठित की थी, उसने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं। चौथी योजना के अन्त तक लगभग 1 करोड़ 11 लाख टन अनाज की वसूली और 1 करोड़ 5 लाख टन अनाज के वितरण के लिए आवश्यक भण्डारों के निर्माण के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। समिति ने अनुमान लगाया है कि अनाज की वसूली और वितरण तथा 50 लाख टन अनाज का बफर स्टाक रखने के लिए कुल 92 लाख टन अनाज के भण्डारण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यह सारे काम भारतीय खाद्य निगम के जरिए किए जाएंगे।

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, चित्र, फोटो आदि भेजिए भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

✧

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

✧

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने या पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 से कीजिए।

卐

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

卐

भेदभाव भूल जाओ

भारत सोने की चिड़िया के रूप में प्रख्यात रहा है और हमेशा ही इस पर विदेशी हमलावरों की क्रूर दृष्टि रही है। यवन, शक, हूण और कुषाण आए पर सब भारत मां के चरणों पर नतमस्तक हो गिर पड़े। महान सिकन्दर नन्दराज की विशाल समरवाहिनी के डर से उलटे पैर यूनान को पलायन कर गया और इन यवनों के रहे सहे अवशेष चन्द्रगुप्त मौर्य के खड्ग का शिकार हो गए।

गुप्तकाल में हूणों ने उत्पात मचाया। जिन हूणों ने यूरोप के काफी बड़े भाग को पादाक्रान्त किया वे गुप्त सम्राट कुमार गुप्त की शक्ति के आगे झुक गए। बाद में इन्हीं हूणों ने जब हमारी पावन वसुन्धरा को पद्दलित करने की फिर चेष्टा की तो भारत सम्राट यशोधर्मन ने उनका पूरे तौर से सफाया कर दिया। अन्त में अरब, तुर्क और अंग्रेज आए पर वे भी भारत मां की हस्ती को न मिटा सके और पलायन कर गए।

आज फिर आततायी हमारी सीमा पर घात लगाए खड़ा है। जिन्हें वह अपना कहता है उन्हीं के खून से उसने अपना दामन रंगा है। उनकी ललनाओं का इसने शीलभंग किया है, बच्चे और निहत्थों को गोलियों से चना मटर की तरह भूना है और लाखों लोगों को घरबार, धनसम्पत्ति और बीवी बच्चों से वंचित कर भारत मां की ममता भरी गोद में धकेल दिया है। पर कैसी विडम्बना है कि "चोरी और सीना जोरी" की मसल चरितार्थ करने वाला आततायी अपनी करनी से बाज नहीं आ रहा। शायद वह 1965 का पाठ भूल गया है जब भारत के रणबांकुरों ने मीलोंमील उसकी भूमि में भीतर घुसकर इस आततायी की कमर तोड़ दी थी। हम उसे चेतावनी देते हैं यदि वह होश में न आया और मन का सन्तुलन खोकर दुस्साहस कर बैठा तो हम उसे अबकी बार और भी तगड़ा पाठ सिखाएंगे जिससे उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। पर हे भारतवासियो ! मतभेद, प्रान्तभेद और वैरभाव भूलकर अपना पुराना शुभ्र रूप धारण करो और दुनियां में अपना धवल यश फैलाओ।

"अलं भारतीयाः ! मतांना विभेदै : अलं देशभेदेन वैरेण चालम्
अये भारतीयाः ! पुरेवात्मरूपं, लभध्वं यशचन्द्रशुभ्रं तनध्वम् ॥"

●

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित तथा गंगा प्रिंटिंग प्रैस, मदर बाजार, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

Regd. No. D-28

ईश विनय करेंगे, सामूहिक स्वल्पाहार में सम्मिलित होंगे, खाने के पूर्व और उपरान्त हाथ धोना, कुल्ला करना, भोजन के लिए बैठना आदि नित्य जीवन की क्रियाएं सीखेंगे तो उन्हें जीवन का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल जाएगा। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों को जानना, पंचायत, स्कूल, अथवा अन्य सरकारी भवनों और लोगों के विषय में जानना, उन्हें समाज के प्रति उनके कर्त्तव्यों से अवगत कराना, अपने माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ उनका व्यवहार बच्चों में सामाजिकता पैदा करने में सहायक होगा। बड़ों को सम्मान देना, आज्ञापालन, 'जी' कह कर बोलना आदि ये सब ऐसे व्यवहार हैं जो बालवाड़ी शिक्षण पाठ्यक्रम के अंग हैं। प्रकृति दर्शन द्वारा उन्हें कृषि तथा वनस्पति का ज्ञान कराया जा सकता है। कृषि में हो रहे वैज्ञानिक अनुसन्धानों से परिचित कराया जा सकता है। पेड़, पौधे, घास आदि की उपयोगिता ये सब बालक के दैनिक जीवन में उपयोग की बातें हैं, जिन्हें शिक्षा के द्वारा उनकी रुचियों में ढाला जा सकता है। गांव के जो बालक घर के बाहर शौच को बैठते हैं उनकी इस आदत में सुधार लाया जा सकता है। उन्हें स्वयं तथा समाज से सम्बन्धित स्वास्थ्य नियमों से अवगत करा कर उनमें नहाने, धोने, शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई, गली मुहल्ले की सफाई, व्यायाम आदि के लाभों से अवगत कराया जा सकता है। नियमित जीवन और आदतें उनके स्वास्थ्य और भोजन की आदतों में परिवर्तन लाएंगी जो नीरोग शरीर व आत्मा के लिए आवश्यक हैं।

बालकों की आदतें

बालवाड़ी शिक्षण में बाल आदतों के अध्ययन के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इसलिए इन आदतों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर उन्हें रचनात्मक दिशा प्रदान की जा सकती है। बालकों के इन क्रियाकलापों को समाज हित में लाने का सदैव प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र गीत के साथ ही राष्ट्रीयता एवं वीरों से सम्बन्धित कहानियों का पठन अत्यन्त सरल और मनोरंजक भाषा में करना चाहिए ताकि बालक की वीरपूजा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल सके। इसी प्रकार से उन्हें राष्ट्रीय नेताओं और गतिविधियों का भी संक्षिप्त परिचय देना चाहिए।

बालवाड़ी शिक्षण पद्धति का एक महत्वपूर्ण पक्ष बालकों में आत्मनिर्भरता लाना है। बालक स्वयं नहाए, कपड़े पहने, अपने जूते, बनियान, रूमाल, जुराब, बस्ता आप सम्भाले और साफ रखे। घर की सफाई तथा कामों में भी अपने पालकों का सहयोगी बने। बालकों में पड़े हुए ये संस्कार उन्हें भविष्य में अधिक अनुशासन प्रिय, सुखी, और दृढ़ी बनाएंगे।

बालवाड़ी शिक्षण के लिए शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षिकाएं अधिक उपयोगी सिद्ध होंगी, क्योंकि पुरुष हृदय की अपेक्षा नारी हृदय अधिक शील, नम्र, और संवेदनशील होता है। वे बच्चों में अधिक घुलमिल सकती हैं। अधिक अच्छा हो यदि बालवाड़ी, बालमन्दिर, अथवा शिशु विद्यालय जैसी संस्थाएं पंचायतें अथवा ग्राम की अन्य समाज सेवी संस्थाएं चलाएं। स्वेच्छा से कार्य करने वाली कुछ उत्साही महिलाएं भी यह कार्य कर सकती हैं। ऐसी महिलाओं को संगठित होकर पहल करने की आवश्यकता है। स्थानीय प्रयत्नों द्वारा चलाई गई इन संस्थाओं को स्थानीय सहयोग भी अधिक मात्रा में मिल सकेगा। शासकीय सहायता और मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जा सकता है।

स्वल्पाहार जैसे कार्यक्रम पोषण आहार कार्यक्रम के द्वारा सम्पन्न किए जा सकते हैं। विश्वसंस्था भी इस कार्य में सहायता देती है।

बालवाड़ी कक्ष अत्यन्त सुसज्जित, खुला हुआ, स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। इसमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए। युगपुरुषों के चित्र, और जीवनियां लिखी होनी चाहिए। अमर बोल और जो चरित्र निर्माण में सहायक हों, ऐसे शब्द भी लिखे होने चाहिए।

बालवाड़ी शिक्षण द्वारा बालकों को जीवन की विभिन्न क्रियाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जो न केवल बालक के हित में बल्कि समाज और राष्ट्र के हित में भी होगा।